[2019] 3 एस. सी. आर 777

तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

वी.

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। & ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 4763-4764 2013 का)

फरवरी 18,2019

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

पर्यावरण-वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981। 21 , 31 , 31 ए और 31 बी-जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974-एस। 18 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 33 ए और 33 बी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010-एस. 14 , 15 , 16 , 29 और 33 लीपफ्रॉग ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के समक्ष अपील की रखरखाव-उत्तरदाता एक तांबा गलाने वाले यंत्र का संचालन कर रहा था

संयंत्र-तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टी. एन. पी. सी. बी.) ने वायु अधिनियम और जल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत इकाई को बंद करने का निर्देश दिया-प्रतिवादी के खिलाफ पारित छह आदेशों के खिलाफ संयुक्त अपील दायर की गई थी। एनजीटी अधिनियम की धारा 16-एनजीटी ने समग्र अपीलों में छह आदेशों को दरकिनार कर दिया-राज्य और टीएनपीसीबी ने तर्क दिया

कि एक बार अपील प्राधिकरण के लिए अपील उपलब्ध होने के बाद,

एन. जी. टी. में एक अपील है, एक पक्ष सीधे एन. जी. टी. में नहीं जा सकता है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः यह स्पष्ट है कि एक अपील क़ानून का एक रूप है और एक अपीलीय न्यायाधिकरण को क़ानून द्वारा निर्धारित क्षेत्र के भीतर सख्ती से कार्य करना पड़ता है-यह स्पष्ट है कि एक अपील अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या निर्णय से होगी। जल अधिनियम की धारा 28 से एनजीटी को केवल यू / जल अधिनियम आर/डब्ल्यू का s.33B (ए)। एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (ए)-इसी तरह, एक अपील एक आदेश से होगी या

अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय यू / वायु अधिनियम की धारा 31 से एन. जी. टी. को केवल यू / वायु अधिनियम का s.31B s के साथ पढ़ा जाता है। 16 (च) एन. जी. टी. अधिनियम का-चूंकि जल अधिनियम या वायु अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश या निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए किसी के खिलाफ कोई सीधी अपील एनजीटी को दिया गया मूल आदेश अक्षम होगा-एनजीटी का अधिकार क्षेत्र

एस द्वारा सख्ती से सीमित किया जा रहा है। 33 जल अधिनियम का बी, आर/डब्ल्यू। वायु अधिनियम का s.31B, r/w। एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 16 (ए) और (एफ) यह स्पष्ट करेगी कि यह केवल अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या निर्णय हैं जो हैं - अपील योग्य, और मूल आदेश नहीं-यह मामला होने के कारण, एनजीटी का आदेश स्पष्ट रूप से जल अधिनियम, वायु अधिनियम और एनजीटी अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपनी वैधानिक शक्तियों के बाहर होने के कारण, अधिकार क्षेत्र के बिना पारित एक आदेश होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010-न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँः एनजीटी अधिनियम के तहत, न्यायाधिकरण अपीलीय कार्य करता है

क्षेत्राधिकार इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों को निरस्त नहीं कर सकता है-यह कहना गलत होगा कि न्यायाधिकरण के पास शक्तियां हैं

प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के समान न्यायिक समीक्षा का

संवैधानिक शक्तियाँ यू/आर्ट। 226 भारत के संविधान का भारत का संविधान-Art.226।

सिद्धांत/सिद्धांत-आवश्यकता का सिद्धांत-एन. जी. टी. ने कहा कि यदि कोई अपील की जाती है तो आवश्यकता का सिद्धांत अपने हाथ में ले लेगा। अधिनियम के तहत प्राधिकरण का ठीक से गठन नहीं किया गया है-आयोजितः यदि एक अपीलीय प्राधिकरण या तो अभी तक गठित नहीं किया गया है, या ठीक से गठित नहीं किया गया है, तो एनजीटी को एक छलांग अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है-एनजीटी को केवल पहली अपील के प्रयोग में पारित आदेश से अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है-जहां ऐसा कोई आदेश नहीं है, एनजीटी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010-जल

(प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974-वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. दिनांक 1 का आदेश एक ऐसा आदेश है जिसने संचालन के लिए सहमति के नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया है, और इसलिए, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 का पता लगाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जल अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ अपील

उक्त अधिनियम की धारा 28 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील योग्य। उक्त अधिनियम की धारा 33 बी (ए) के तहत, यदि कोई व्यक्ति धारा के तहत अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या निर्णय से व्यथित है।

28 , इसके बाद इसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) में अपील की जा सकती है। यह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 (ए) द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। समान रूप से, इसके तहत सहमति से इनकार करने वाला आदेश वायु अधिनियम की धारा 21 वायु अधिनियम की धारा 31 के तहत अपीलीय प्राधिकरण को अपील करने योग्य है, और उसके बाद, उक्त अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से, वायु अधिनियम की धारा 31 बी और एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (एफ) के तहत एनजीटी को अपील की जा सकती है। [पैरा 21] [813-बी-सी]

2. जैसा कि यहाँ ऊपर कहा गया है, यह स्पष्ट है कि एक अपील

वायु अधिनियम और जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण को वरीयता दी गई। जबकि ये अपीलें लंबित थीं

अपीलीय प्राधिकरण, समग्र अपील तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड V के समक्ष दायर की गई थी।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड।

एन. जी. टी. अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 09.04.2018 के संचालन के लिए सहमति से इनकार करने के आदेश के खिलाफ है। जबकि यह तर्क दिया जाता है कि अपीलों पर सुनवाई नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार ने टी. एन. पी. सी. बी. को संयंत्र को बंद करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया था

स्थायी रूप से, उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलों पर इस समय निर्णय नहीं लिया जा सका और इसलिए उन्हें 10.07.2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 10.07.2018 पर उक्त अपीलों को आगे स्थगित कर दिया गया था, और यह केवल 18.12.2018 पर है कि उन्हें अंततः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निष्फल होने के रूप में वापस ले लिया गया था कि एनजीटी ने 15.12.2018 पर अपना आदेश पारित किया था जिसमें उसने 09.04.2018 दिनांकित आदेश को दरकिनार कर दिया था। जो बात स्पष्ट हो जाती है वह यह है कि जब एक अपील अभी भी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित थी, एनजीटी ने मूल आदेश दिनांक 09.04.2018 के खिलाफ सीधे एक मामले को उठाया, जिसे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी इससे पहले कि अपीलीय प्राधिकारी इसका निर्णय ले सके। [पारस 22 और 23] [813-डी-एच]

3. यह स्पष्ट है कि एक अपील क़ानून का एक हिस्सा है और एक अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्धारित क्षेत्र के भीतर सख्ती से कार्य करना पड़ता है।

एनजीटी को दिया गया मूल आदेश अक्षम होगा। एन. जी. टी. के अधिकार क्षेत्र को जल अधिनियम की धारा 33 बी द्वारा सख्ती से सीमित किया गया है, जिसे वायु अधिनियम की धारा 31 बी के साथ पढ़ा जाता है, जिसे एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 16 (ए) और (एफ) के साथ पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट कर देगा कि यह केवल अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या निर्णय हैं जो अपील योग्य हैं। और मूल आदेश नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अपील लंबित थी जब एनजीटी ने मूल आदेश दिनांक 09.04.2018 को दरकिनार कर दिया था। इस मामले में, एन. जी. टी. का आदेश स्पष्ट रूप से जल अधिनियम, वायु अधिनियम और एन. जी. टी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपनी वैधानिक शक्तियों के बाहर होने के कारण, अधिकार क्षेत्र के बिना पारित एक आदेश होगा। [पैरा 31] [820-बी-एफ] [2019] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुंदूर रुद्रप्पा बनाम। मैसूर राजस्व अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य। (1975) 2 एस. सी. सी. 411; सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2003) 3 एससीसी 186: [2002] 5 पूरक। एससीआर 222; बी. हिम्मतलाल अग्रवाल बनाम। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

[2018] 4 एस. सी. आर. 496; राजा साबुन कारखाना बनाम। एसपी।

शांतराज [1965] 2 एससीआर 800; नॉर्दर्न प्लास्टिक लिमिटेड। वी. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड और ओआरएस। (1997)

4 एस. सी. सी. 452 [1997] 2 एस. सी. आर. 252; मनोहर लाल बनाम।

उग्रसेन (2010) 11 एस. सी. सी. 557: [2010] 7 एस. सी. आर. 346; आर्कोट

टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड v. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (2013) 16 एससीसी 1: [2013] 11 एससीआर 371

पर भरोसा किया।

एस फ़्रांसिस लिमिटेड बनाम द कैवेंडिश होटल (लंदन) लिमिटेड. [2018] यूकेएससी 62- संदर्भित।

4. टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा जल अधिनियम और वायु अधिनियम की धारा 33 ए और 31 ए के तहत क्रमशः 12.04.2018,23.05.2018 और 28.05.2018 दिनांकित आदेश पारित किए गए। इस समय यह बताना महत्वपूर्ण है कि जल अधिनियम की धारा 33 बी और धारा 31 वायु अधिनियम के बी दोनों को 18.10.2010 पर अधिनियमित किया गया था, जिस तारीख को एनजीटी अधिनियम लागू हुआ था। क्या है?

ध्यान देने योग्य बात यह है कि एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (सी) के साथ पठित जल अधिनियम की धारा 33 बी (सी) यह स्पष्ट करती है कि जल अधिनियम की धारा 33 ए के तहत जारी किए गए निर्देश इस प्रकार हैं -

एन. जी. टी. को अपील योग्य, धारा 31 ए के तहत जारी किए गए निर्देश

वायु अधिनियम इतना अपील योग्य नहीं है। वास्तव में, वैधानिक योजना यह है कि वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत दिए गए निर्देश अपील योग्य नहीं हैं। यह मामला होने के कारण, उपरोक्त सभी आदेश, जल अधिनियम और वायु दोनों के तहत जारी किए गए समग्र आदेश हैं

अधिनियम, उपरोक्त आदेशों को विभाजित करना और यह कहना संभव नहीं होगा कि जहां तक वे जल प्रदूषण को प्रभावित करते हैं, वे अपील करने योग्य हैं

एनजीटी, लेकिन जहाँ तक वे वायु प्रदूषण को प्रभावित करते हैं, ऐसे आदेशों के खिलाफ एक मुकदमा या एक रिट याचिका होगी। प्रत्यर्थी का यह तर्क कि ये आदेश काफी हद तक जल अधिनियम से संबंधित हैं, इसलिए मान्य नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे आदेश जल अधिनियम और वायु अधिनियम दोनों के तहत दिए गए समग्र आदेश हैं। समान रूप से

एनजीटी अधिनियम की धारा 14 का संदर्भ कपटपूर्ण है जो केवल एनजीटी के मूल अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है न कि इसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र को। इसके अलावा, आम तौर पर यह बताना कि विषय तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v.

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड।

प्रत्यर्थी कि, किसी भी मामले में, धारा 31 ए के तहत एक "निर्देश" वायु अधिनियम एक "आदेश" के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए, वायु अधिनियम की धारा 31 बी के तहत अपील योग्य होगा।

एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (एफ) एक कोच-और-चार को उस वैधानिक योजना के माध्यम से चलाएगी जिसे अभी-अभी स्वीकार किया गया है। इन सभी

एनजीटी को अपीलीय कार्यवाही, चाहे वह वायु अधिनियम के तहत हो,

जल अधिनियम, या एन. जी. टी. अधिनियम को उसी तारीख से लागू किया गया है। जबकि जल अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा निर्देश देने की समान शक्ति एनजीटी के लिए अपील योग्य है, वायु अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा निर्देश देने की समान शक्ति इतनी अपील योग्य नहीं है। वैधानिक योजना को देखते हुए वायु अधिनियम की धारा 31 बी में धारा 31 ए का कोई उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त, यह स्पष्ट करता है कि इस तर्क को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत जारी किए गए "निर्देश" उसी अधिनियम की धारा 31 में निर्दिष्ट "आदेशों" से अलग गुणवत्ता के होते हैं। अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन में निर्देश जारी किए जाते हैं और ये हैं

प्रकृति में अर्ध-न्यायिक नहीं है, जबकि धारा 31 के तहत जिन आदेशों के खिलाफ अपील की जाती है, वे वायु अधिनियम की धारा 21 के तहत किए गए अर्ध-न्यायिक आदेश हैं। [पैरा 35] [822-सी-एच; 823-ए डी]

5. जहाँ तक दिनांकित 28.05.2018 आदेश का संबंध है, यह आदेश स्पष्ट रूप से धारा 18 के तहत किया गया है।

जल अधिनियम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह का आदेश जल अधिनियम या एनजीटी अधिनियम के तहत एनजीटी को अपील करने योग्य नहीं है। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि धारा 18 आम तौर पर किए गए आदेशों के लिए संदर्भित है, और जल अधिनियम के अध्याय IV के तहत आती है, जो बोर्ड की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, जो अध्याय V में आने वाली धाराओं के विपरीत है, जो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है, जो व्यक्तियों और व्यक्तिगत उद्योगों के खिलाफ आदेश दिए जाते हैं। इस धारणा पर कि इस तर्क में उत्तरदाता सही हैं, यह स्पष्ट है कि इस तरह के आदेश को केवल एक दीवानी [2019] 3 एस. सी. आर. द्वारा एक मुकदमे में अलग किया जा सकता है।

न्यायालय, या उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। इसलिए, इस आदेश को या तो किसी मुकदमे में या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में ही दरकिनार किया जा सकता है। [पैरा 39] [826-ए-सी]

कृष्णादेवी मालचंद कामठिया बनाम। बॉम्बे पर्यावरण कार्रवाई समूह (2011) 3 एस. सी. सी. 363: [2011] 3 एस. सी. आर. 291; कांडला पोर्ट बनाम। हरगोविंद जसराज (2013) 3

एस. सी. सी 182 [2013] 1 एस. सी. आर. 589-संदर्भित। स्मिथ बनाम। पूर्वी एलो ग्रामीण जिला परिषद [1956] 1 सभी

ई. आर. 855-संदर्भित।

6. उत्तरदाताओं ने तब तर्क दिया कि एल. चंद्र कुमार मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थापित किए गए न्यायाधिकरणों के पास आम तौर पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, सिवाय उस कानून के अधिकारों को चुनौती देने के जिसके तहत ऐसे न्यायाधिकरण हैं।

खुद को स्थापित करें। इसके लिए, उन्होंने पैराग्राफ पर दृढ़ता से भरोसा किया

90 और एल. चंद्र कुमार मामले में फैसले के 93. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एल. चंद्र कुमार एक न्यायाधिकरण से संबंधित थे कि

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता। इसका मतलब यह होगा कि इस प्रकार स्थापित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 ए में निर्दिष्ट मामलों पर सभी उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 और धारा 28 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है। संविधान का अनुच्छेद 323 बी भारत के संविधान में कुछ अन्य मामलों के लिए भी न्यायाधिकरणों का प्रावधान है जो इसके उपखंड (2) द्वारा निर्दिष्ट हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एनजीटी संविधान के अनुच्छेद 323 ए या अनुच्छेद 323 बी के तहत स्थापित न्यायाधिकरण नहीं है, बल्कि एक वैधानिक न्यायाधिकरण है।

एनजीटी अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण का गठन किया गया। कि ऐसा न्यायाधिकरण उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है

एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 29 के अध्ययन से न्यायालय स्पष्ट है। इस प्रकार, एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 और धारा 29 का एक संयुक्त पठन तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v.

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 और धारा 28 के संयुक्त पठन के विपरीत होना चाहिए। भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और अन्य। , इस न्यायालय को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की धारा 14 में निहित अपीलीय शक्ति का अर्थ लगाना था

भारत अधिनियम, 1997, जिसके द्वारा टी. डी. एस. ए. टी. को टी. आर. ए. आई. के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनने और निपटाने की शक्ति प्रदान की गई थी। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि एनजीटी अधिनियम की धारा 16 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 (बी) के समान है, जिसमें अपील विभिन्न अधिनियमों के तहत किए गए आदेशों, निर्णयों, निर्देशों या निर्धारणों के खिलाफ हैं।

धारा 16. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एनजीटी अधिनियम के तहत, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायाधिकरण इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों को रद्द नहीं कर सकता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि न्यायाधिकरण के पास संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के समान न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। इस कारण से भी, जल अधिनियम की धारा 18 के तहत राज्य सरकार के आदेश, जो एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी भी अपील का विषय नहीं है, की एनजीटी द्वारा "न्यायिक रूप से समीक्षा" नहीं की जा सकती है। बी. एस. एन. एल. में फैसले के बाद, एन. जी. टी. के पास नहीं है अनुच्छेद के तहत निहित न्यायिक समीक्षा की सामान्य शक्ति

226 इस देश के उच्च न्यायालयों के पास भारत का संविधान है। विल्फ्रेड v में दिनांकित 17.07.2014 एनजीटी निर्णय पर प्रत्यर्थी की मजबूत निर्भरता। पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि एनजीटी के इस फैसले में इस पहलू पर कानून को सही ढंग से नहीं कहा गया है। यह भी है विवाद

योग्यता के बिना, और इसलिए, अस्वीकार कर दिया गया। [पैरा 40,42] [826-एफ-एच; 827-ए; 829-सी-डी; 830-सी-डी; 831-जी-एच; 832-ए-बी, ई-जी]

भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और अन्य। (2014) 3 एससीसी 222: [2013]

12 एस. सी. आर. 999 पर भरोसा किया।

7. अंत में, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि प्रतिवादी का संयंत्र 09.04.2018 के बाद से बंद कर दिया गया है। तब से के आधार पर एन. जी. टी. के विवादित निर्णय

रखरखाव को अलग कर दिया गया है और टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा पारित दिनांकित 22.01.2019 आदेश, एक परिणामी आदेश होने के कारण, [2019] 3 एस. सी. आर. भी निर्धारित किया गया है।

एक तरफ। प्रत्यर्थियों को इस स्थिति में भेज दिया जाता है कि एन. जी. टी. के समक्ष विवादित छह आदेश, दिनांकित 15.12.2018 के विवादित फैसले द्वारा निपटाए गए, और दिनांकित 08.08.2013 के अंतिम फैसले द्वारा निपटाए गए 29.03.2013 के आदेश, जीवित हैं और

ऑपरेटिव। इस तथ्य को देखते हुए कि यह न्यायालय इन अपीलों में शामिल एनजीटी के फैसलों को इस आधार पर दरकिनार कर रहा है कि

उत्तरदाताओं के लिए उपरोक्त सभी आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा। यदि ऐसी रिट याचिका दायर की जाती है, तो प्रतिवादी के लिए यह मानते हुए अंतरिम राहत के लिए आवेदन करने के लिए खुला होगा कि उनका संयंत्र 09.04.2018 के बाद से बंद है। [पैरा 45] [833-एफ-एच]

कन्हियालाल उमर बनाम। आर. के. त्रिवेदी (1985) 4 एससीसी 678:

[1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1; महाराष्ट्र राज्य बोर्ड

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा v. परितोष भुपेशकुमार सेठ (1984) 4 एस. सी. सी. 27: [1985] 1 एससीआर

29 ; गलाडा पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम संयुक्त

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2016) 14 एस. सी. सी. 161; अल्लोकम

पेद्दब्बय्या बनाम। इलाहाबाद बैंक (2017) 8 एससीसी 272

: [2017] 8 एस. सी. आर. 121; गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी [1957] एस. सी. आर. 488-प्रतिष्ठित।

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और ओआरएस। (1997) 3

एस. सी. सी. 261 [1997] 2 एस. सी. आर. 1186; पुनः विशेष संदर्भ [1965] 1 एस. सी. आर. 413-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1997] 2 एससीआर 1186

पै

रा 13

संदर्भित किया गया है

(1975) 2 एस. सी. सी. 411

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[2002] 5 पूरक। एससीआर 222

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[2018] 4 एससीआर 496

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[1965] 2 एससीआर 800

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

[1997] 2 एससीआर 252

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[2010] 7 एससीआर 346

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

[2013] 11 एससीआर 371

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[1985] 3 पूरक। एससीआर 1

विशिष्ट पैरा 35

[1985] 1 एससीआर 29

विशिष्ट पैरा 36

(2016) 14 एससीसी 161

विशिष्ट पैरा 37 तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड।

[2017] 8 एससीआर 121

विशिष्ट पैरा 37

[1957] एससीआर 488

विशिष्ट पैरा 38

[1991] 3 एससीआर 663

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[1997] 2 एससीआर 152

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2007] 3 एससीआर 277

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

[2011] 3 एससीआर 291

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2013] 1 एससीआर 589

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2013] 12 एससीआर 999

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

[1965] 1 एससीआर 413

पै

रा 42

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 4763

4764 2013 से।

प्रधानाचार्य के 31.05.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की अपील संख्या 57 (2013 की अपील संख्या 22 और 2013 की अपील संख्या 58 (2013 की अपील संख्या 23 (एस. जेड.)) में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की पीठ।

के साथ

सिविल अपील सं। 8773-8774 / 2013 , 9542-9543 / 2013,5782 / 2014

,

1552-1554 / 2019 , 23/2019 और 1582/2019।

बालाजी श्रीनिवासन, एएजी, सी. एस. वैद्यनाथन, केवी विश्वनाथन,

गुरु कृष्णकुमार, सी. ए. सुंदरम, आर. रायजादा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. योगेश कन्ना, सिद्धांत कोहली, सुश्री वृंदा भंडारी, रवि रघुनाथ,

वेंकटरमण, अक्षय नागराजन, जी. शिवबलमुरुगन, जी. आनंद सेल्वम, वसंत कुमार, करुप्पैया, विवेक भारती, विनोद कन्ना बी., आर. नेदुमारन, बेनो बेंसिगर, पारिजात किशोर, संतोष कुमार।

त्रिपाठी, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, अर्जुन सिंह, दीपक गोयल, आशुतोष कुमार शर्मा, राजीव दुबे, कमलेंद्र मिश्रा, श्रीमती रचना गुप्ता, निखिल नय्यर, सुश्री केवी भारती उपाध्याय, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

श्री वाइको, व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. वर्तमान अपील आदेशों से उत्पन्न होती हैं।

जिन्हें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ["एनजीटी"] दिनांक 31.05.2013,08.08.2013, और 15.12.2018 द्वारा पारित किया गया है। वर्तमान मामले में उठाए गए विवाद को समझने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं।

19] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. प्रतिवादी, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड/वेदांता लिमिटेड, राज्य उद्योग संवर्धन में एक कॉपर स्मेल्टर संयंत्र का संचालन कर रहा था। तमिलनाडु निगम लिमिटेड (एस. आई. पी. सी. ओ. टी.) औद्योगिक परिसर

सल्फ्यूरिक एसिड। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ["एम. ओ. ई. एफ".] द्वारा परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी 16.01.1995 पर दी गई। 17.05.1995 पर, राज्य एमओईएफ ने प्रतिवादी को पर्यावरण मंजूरी भी प्रदान की। टी. एन. पी. सी. बी. ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 ["वायु अधिनियम"] और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ["जल अधिनियम"] के तहत अपनी सहमति दी। आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद, टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा संयंत्र के संचालन के लिए सहमति 14.10.1996 पर जारी की गई थी। उत्पादन 01.01.1997 पर शुरू हुआ। हालाँकि, जो पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, उसे मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या में चुनौती दी गई थी। 15501-15503 / 1996 , 5769/1997 , और 16961/1998। 20.05.1999 पर, टी. एन. पी. सी. बी. ने दो और उत्पादों, अर्थात् फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड के उत्पादन के लिए अपनी सहमति प्रदान की। उस पर

21.09.2004 , खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के अनुपालन की स्थिति को सत्यापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी समिति का गठन किया गया था। इसने एमओईएफ को सिफारिश की कि प्रस्तावित विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, और यदि दी जाती है, तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। 19.04.2005 पर, टी. एन. पी. सी. बी. ने विस्तारित क्षमता के लिए विभिन्न शर्तों की पूर्ति के अधीन, संचालन के लिए सहमति जारी की। इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने 28.09.2010 पर दायर की गई विभिन्न रिट याचिकाओं को अनुमति दी और प्रतिवादी को दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया और टी. एन. पी. सी. बी. को संयंत्र को बंद करने का निर्देश दिया।

3. इस बीच, 23.03.2013 पर, आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज से उत्सर्जन के कारण जलन, गले में संक्रमण, गंभीर खांसी, सांस लेने में समस्या, मतली आदि की शिकायत करना शुरू कर दिया। रिपोर्टों में कहा गया है

टीएनपीसीबी द्वारा परिसर के निरीक्षण के बाद प्राप्त किया गया। इन रिपोर्टों के आधार पर, टी. एन. पी. सी. बी. ने 29.03.2013 पर वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत इकाई को बंद करने का निर्देश दिया। एनजीटी द्वारा इस आदेश पर 31.05.2013 पर रोक लगा दी गई थी, जिससे प्रतिवादी को कुछ शर्तों के अधीन उत्पादन शुरू करने की अनुमति मिली थी। इसके खिलाफ टी. एन. पी. सी. बी. ने 2013 की सिविल अपील Nos.4763-4764 दायर की।

जिसका निपटारा इस मामले में दिए गए फैसले से किया जाएगा। अंत में, 08.08.2013 पर, एनजीटी ने टीएनपीसीबी के दिनांकित 29.03.2013, तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v के आदेश को दरकिनार कर दिया।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जिसके विरुद्ध सिविल अपील सं। 8773-8774 2013 की याचिका दायर की गई थी, जिसका इस निर्णय द्वारा फिर से निपटारा किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहां अपीलकर्ताओं ने एनजीटी के समक्ष प्रतिवादी की अपील की स्थिरता का मुद्दा उठाया, जिसमें कहा गया है कि वायु अधिनियम/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 ["एनजीटी अधिनियम"] के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पहले अपील दायर की जानी चाहिए थी। रखरखाव का यह आधार अपीलार्थियों के खिलाफ दिनांकित 08.08.2013 के विवादित आदेश द्वारा तय किया गया था।

वायु अधिनियम और जल अधिनियम के तहत, जिसका स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया था। 06.09.2017 पर, टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा एक निरीक्षण रिपोर्ट बनाई गई थी, और 07.09.2017 पर एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें विभिन्न शर्तों के अधीन केवल 31.03.2018 तक काम करने के लिए सहमति का नवीनीकरण किया गया था। इस बीच, प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा मार्च 2018 में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा मांगा गया विस्तार। इसलिए, प्रत्यर्थी को पुलिस सुरक्षा के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष 2018 की रिट याचिका दायर करनी पड़ी। इस रिट याचिका का निपटारा 04.04.2018 दिनांकित एक आदेश द्वारा किया गया था जिसमें इस पर विचार करने का निर्देश दिया गया था

प्रतिवादी का आवेदन। 09.04.2018 पर, टी. एन. पी. सी. बी. ने नवीनीकरण से इनकार कर दिया

वायु अधिनियम और जल अधिनियम के तहत निर्धारित कुछ शर्तों का पालन न करने के आधार पर प्रत्यर्थी की इकाई के लिए काम करने की सहमति। 12.04.2018 पर, प्रत्यर्थी ने जल अधिनियम की धारा 28 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 2018 की अपील Nos.36-37 दायर की। इन अपीलों में, विभिन्न आदेश पारित किए गए थे, जब तक कि 06.06.2018 पर निम्नलिखित आदेश पारित नहीं किया गया थाः

" आवेदन 28 और 29,2018, आवेदन 30 और 31,2018 और आवेदन 36 और 37,2018:

सुना है।
तमिलनाडु सरकार द्वारा जी. ओ. में पारित सरकारी आदेश को ध्यान में रखते हुए सुश्री नं. 72 , पर्यावरण और वन (ईसी-3) विभाग दिनांकः 28.5.2018 , तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने का निर्देश देते हुए, हमें लगता है कि अपीलों को सुनना और इस मुद्दे पर निर्णय लेना उचित नहीं है

एक मोड़ पर।

इसलिए अपीलों और आवेदनों को 10.7.2018 तक स्थगित कर दिया जाता है।

10.07.2018 पर, मामले को आगे इस प्रकार स्थगित कर दिया गयाः

" आवेदन 28 और 29-2018, आवेदन 30 और 31-2018

और आवेदन 36 और 37/2018:

6.6.2018 पर निर्णय कार्यवाही में की गई टिप्पणियों को देखते हुए और चूंकि स्थिति अब समान है, इसलिए अपील और

आवेदनों को 21.8.2018 पर स्थगित कर दिया जाता है।

अंत में, 18.12.2018 पर, यानी, 15.12.2018 पर एनजीटी द्वारा विवादित आदेश पारित किए जाने के तीन दिन बाद, अपीलीय द्वारा एक आदेश पारित किया गया। प्राधिकरण इस प्रकार थाः

" आवेदन 28,29,30 और 31/2018 और आवेदन 36 और

37/2018 :

अपीलार्थी की वकील सुश्री जननी और प्रतिवादी-बोर्ड के वकील श्री वी. वसंतकुमार उपस्थित हैं। कोई मौजूद नहीं है।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से। अपीलार्थी के वकील ने वापस लेने की अनुमति मांगी

अपील करते हैं। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन भी दायर किया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा 2018 की अपील संख्या 87 में 15.12.2018 पर पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, इस अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित इन अपीलों की विषय वस्तु 9.4.2018 के विवादित आदेश को दरकिनार करते हुए, अपीलें निष्फल हो गई हैं और इसलिए वे बंद हैं।

5. 12.04.2018 पर, टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा जल अधिनियम की धारा 33 ए और वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत एक आदेश पारित किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि प्रतिवादी की इकाई टी. एन. पी. सी. बी. से पूर्व अनुमोदन/नवीनीकरण या सहमति प्राप्त किए बिना उत्पादन फिर से शुरू नहीं करेगी। इसके बाद दो आदेश जारी किए गए, दोनों दिनांक 23.05.2018, फिर से एक ही धारा के तहत जारी किए गए, इस बार प्रतिवादी की इकाई को बंद करने और उसे बिजली की आपूर्ति बंद करने के लिए। अंत में, 28.05.2018 पर, द्वारा एक आदेश जारी किया गया था

जल अधिनियम की धारा 18 (1) (बी) के तहत तमिलनाडु सरकार ने कहाः

" यह सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेसर्स के संचालन के लिए सहमति का नवीनीकरण नहीं किया है। वेदांता लिमिटेड, कॉपर स्मेल्टर प्लांट, एस. आई. पी. सी. ओ. टी. औद्योगिक परिसर, थूथुकुडी जिला ने अपने दिनांक 9.4.2018 के आदेश में। इसके बाद, 23.5.2018 पर, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v.

इकाई को बिजली आपूर्ति बंद करने और काटने के निर्देश भी जारी किए हैं। 24.5.2018 पर बिजली की आपूर्ति काट दी गई है।

2. संविधान के अनुच्छेद 48-ए के तहत,

" राज्य की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा

पर्यावरण और वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए

देश "।

3. जल अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) के तहत व्यापक लोक हित में सरकार जल अधिनियम को बंद करने के निर्देश का समर्थन करती है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इकाई को सील करने और संयंत्र को बंद करने का भी निर्देश दिया

स्थायी रूप से "।

6. उसी तारीख को, टी. एन. पी. सी. बी. ने अन्य बातों के साथ-साथ जिला कलेक्टर को एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें प्रतिवादी की इकाई को सील करने का निर्देश दिया गया। ये छह आदेश एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के तहत 2018 की समग्र अपील संख्या 87 का विषय बन गए।

7. प्रतिवादी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष 18.06.2018 पर एक रिट याचिका दायर की गई थी ताकि प्रतिवादी अपने संयंत्र को बनाए रखने के लिए अपनी इकाई तक पहुँच सकते थे। इसे 09.07.2018 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

8. इसके बाद अपीलकर्ताओं ने समग्र अपील को बनाए रखने के लिए एक याचिका दायर की। चूंकि एन. जी. टी. द्वारा इसका निपटारा नहीं किया जा रहा था, इसलिए इस न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा एन. जी. टी. को रखरखाव के साथ-साथ गुण-दोष दोनों पर अपने अंतिम निष्कर्ष देने का निर्देश दिया। 20.08.2018 पर, एनजीटी ने द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया

दीवानी अपील के पक्षकारों और स्थल का दौरा करने के लिए। इस समिति का नेतृत्व अंततः मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने दो विशेषज्ञों के साथ किया, जिनमें से एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) का प्रतिनिधि और दूसरा पर्यावरण मंत्रालय का प्रतिनिधि था। इस आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने 10.09.2018 पर इस अपील का यह कहते हुए निपटारा कियाः

" हमारे दिनांकित 17.08.2018 आदेश द्वारा, हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि एनजीटी गुण-दोष के साथ-साथ रखरखाव दोनों पर मामले की सुनवाई जारी रख सकता है और अंत में दोनों मामलों पर निर्णय ले सकता है।

चूँकि हमारे आदेश को दिनांकित 20.08.2018 क्रम में संदर्भित नहीं किया गया है।

एनजीटी द्वारा पारित, हमें केवल यह कहने की आवश्यकता है कि एक बार [2019] 3 एस. सी. आर.

समिति की रिपोर्ट न्यायाधिकरण को दी जाती है, वह निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगी

हमारे दिनांकित 17.08.2018 आदेश के अनुसार मामला।

XXX XXX XXX "

इस आदेश के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया था।

9. एन. जी. टी. द्वारा गठित समिति ने सितंबर/अक्टूबर, 2018 में स्थल का निरीक्षण किया और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ हस्तक्षेप करने वालों को भी सुना। इसके बाद यह 20.11.2018 दिनांकित एक विस्तृत पूछताछ के साथ सामने आया, जिसमें यह निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गयाः

" स्थल की यात्रा के आधार पर, सार्वजनिक सुनवाई और अपीलकर्ता कंपनी की सुनवाई के बाद, तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड, और हस्तक्षेप करने वाले और, विचार करने पर

उठाए गए मुद्दों पर समिति की राय हैः

1. विवादित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोई सूचना या अवसर नहीं

अपीलार्थी को सुनवाई दी गई।

2. विवादित आदेशों में उल्लिखित आधार कारखाने को स्थायी रूप से बंद करने को उचित ठहराने के लिए उतने गंभीर नहीं हैं।

3. उठाए गए अन्य मुद्दे भी कारखाने को बंद करने को उचित नहीं ठहराते हैं, भले ही अपीलकर्ता को शर्तों/मानदंडों/निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया हो।

क) दिनांक 19-04 2005 के सहमति आदेश की शर्त No.44 के अनुसार, अपीलार्थी को कारखाने परिसर और आसपास के गांवों में और आसपास आर्सेनिक, कैडमियम, चांदी, तांबा, फ्लोराइड आदि भारी धातुओं सहित भूजल की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए महीने में एक बार निर्देश दिया जाना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट टीएनपीसीबी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। ख) उपरोक्त का नमूना उपस्थिति में लिया जाना चाहिए

टीएनपीसीबी के एक अधिकारी का।

ग) उपरोक्त के अलावा, टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा गठित एक निगरानी समूह द्वारा अपशिष्ट/उत्सर्जन और ठोस कचरे का नमूना भी लिया जाना चाहिए जिसमें एक प्रतिनिधि शामिल हो।

जिला कलेक्टर, टी. एन. पी. सी. बी. के एक अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और ए. डी. यू. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v.

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

शिक्षाविद शर्त सं। 43 सहमति आदेश दिनांकित

19-04-2005 .

दोनों रिपोर्ट टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा सी. पी. सी. बी. को भेजी जानी चाहिए।

विश्लेषण करें। सी. पी. सी. बी. द्वारा की गई सिफारिशें होनी चाहिए -

पीछा किया।

कॉपर स्लैग सहित सभी ग्यारह स्थलों पर फेंका गया

उप्पार नदी को हटाया जाना चाहिए। यदि लैंडफिल उद्देश्यों के लिए तांबे के स्लैग का उपयोग किया गया है, तो जमीन के स्तर के ऊपर और ऊपर स्लैग की अतिरिक्त मात्रा को हटा दिया जाएगा और उसके बाद लैंडफिल को एक फीट मिट्टी के साथ संकुचित किया जाना चाहिए, ताकि तांबे के स्लैग को हवा से उड़ाया न जा सके।

तेज़ हवाएँ।

कारखाना परिसर के अंदर डंप यार्ड में पड़े तांबे के स्लैग के मृत भंडार को समयबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। इसके बाद, डंप यार्ड के नीचे और बगल की दीवारों को एच. डी. पी. ई. लाइनर से ढक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तांबे के स्लैग का उत्पादन और निपटान 1 के अनुपात में बनाए रखा जाएः 1 और

कि कंपनी सबसे अच्छा, 10 दिनों की पीढ़ी को बनाए रख सकती है

इसके डंप यार्ड में तांबे का स्लैग।

कारखाना परिसर के अंदर डंप यार्ड में पड़े जिप्सम के मृत भंडार को हटा दिया जाना चाहिए जो ठोस हो गया है।

समयबद्ध तरीके से। इसके बाद, डंप यार्ड के नीचे और बगल की दीवारों को एच. डी. पी. ई. लाइनर से ढक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिप्सम का उत्पादन और निपटान 1 के अनुपात में बनाए रखा जाएः 1 और वह कंपनी सबसे अच्छा, 10 दिनों की पीढ़ी को बनाए रख सकती है

अपने डंप यार्ड में जिप्सम।

कॉपर स्लैग, जिप्सम (या) के निपटान से पहले कंपनी

कोई भी अन्य अपशिष्ट उत्पाद टी. एन. पी. सी. बी. से पूर्व अनुमति लेगा।

खतरनाक और अन्य के तहत खतरनाक कचरे के निपटान के लिए वैध प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए कंपनी का आवेदन

टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाना चाहिए।

तरीके से।

भले ही एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से हवा के नमूनों का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक [2019] 3 एस. सी. आर.

अपीलार्थी को निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि वे एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी./एन. ए. बी. एल. की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता/शोर स्तर/ढेर उत्सर्जन के लिए एक आवधिक सर्वेक्षण करेंगे और टी. एन. पी. सी. बी. को ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

के) अपीलार्थी कंपनी को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे

देशी और ऊँचे पत्तेदार पेड़ लगाकर अपने कारखाने की बैटरी सीमा के आसपास 25 मीटर चौड़ी हरी पट्टी विकसित करें।

और कारखाने में और उसके आसपास भी।

1) तमिलनाडु राज्य/टी. एन. पी. सी. बी. को अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकार से डेटा एकत्र करना चाहिए। फैक्टरी परिसर में और उसके आसपास रहने वाले निवासियों द्वारा शिकायत की जा रही विभिन्न बीमारियों की निगरानी के लिए अस्पताल।

एम) राज्य सरकार को उचित और डिज़ाइन किए गए स्वास्थ्य के संचालन के लिए अपीलार्थी को मॉड्यूल निर्दिष्ट करना चाहिए।

अध्ययन की निगरानी करना।

एन) दिशा सं। (iii) "स्रोत विभाजन अध्ययन" पर और निर्देश सं। (ix) तमिलनाडु राज्य सरकार और टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा 2013 की अपील 58 में अपने निर्णय दिनांक 8/8/2013 में एन. जी. टी. द्वारा पारित "स्वास्थ्य खतरों पर अध्ययन करने" पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी रिपोर्टें होनी चाहिए।

एन. जी. टी. को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए।

ओ) अपीलार्थी को जिप्सम तालाब का निर्माण तुरंत शुरू करने और उसमें निर्धारित शर्तों के अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

अक्टूबर, 2014 में सी. पी. सी. बी. द्वारा दिए गए दिशानिर्देश।

पी) अपीलार्थी जलभृत भेद्यता और मौजूदा फॉस्फोजिप्सम से लीचेट के प्रवास का निर्धारण करने के लिए एक नया विस्तृत जलभौगोलिक अध्ययन करेगा।

दिनांकित सहमति आदेश की शर्त No.15 के अनुसार टीएनपीसीबी द्वारा अनुमोदित एक प्रतिष्ठित संगठन के माध्यम से तालाब

19/04/2005 .

प्र) टी. एन. पी. सी. बी. के साथ-साथ अपीलार्थी को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे भूजल प्रदूषण, यदि कोई हो, का पता लगाने के उद्देश्य से उन्हीं बिंदुओं से स्वतंत्र रूप से भूजल के नमूने लें। ऐसी रिपोर्टों की तुलना सी. पी. सी. बी. द्वारा की जानी चाहिए। सी. पी. सी. बी. द्वारा की गई सिफारिशें होनी चाहिए -

पीछा किया।

आर) उच्च श्रेणी के आयात के लिए निर्देश/विनियमन तैयार किए जा सकते हैं।

तांबा अयस्क।

एस) मानदंडों के बावजूद, किसी भी मामले में ढेर की ऊंचाई को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि तूतीकोरिन के लोगों की अस्पष्टता और शिकायत को दूर किया जा सके।

एस. ओ. 2 के उत्सर्जन के संबंध में।

टी) जब तक स्टैक की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाती है, तब तक तांबे के साथ-साथ सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए /

मौजूदा स्टैक ऊंचाई से मेल खाने के लिए कम किया गया।

यू) बंदरगाह से कारखाने के परिसर तक तांबे के अयस्क का परिवहन बंद समय में किया जाना चाहिए।

परिवहन या पाइप कन्वेयर प्रणाली के माध्यम से।

v) परिवेशी वायु गुणवत्ता/ढेर उत्सर्जन/भगोड़े उत्सर्जन/भूजल गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी के लिए अपीलार्थी द्वारा स्व-निगरानी तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।

तीसरे पक्ष के माध्यम से सतह के पानी की गुणवत्ता/मिट्टी की गुणवत्ता/स्लैग विश्लेषण और रिपोर्ट संबंधित को प्रस्तुत की जाएगी।

नियामक एजेंसियां।

डब्ल्यू) सभी निगरानी डेटा, सी. टी. ई./सी. टी. ओ./ई. सी. की अनुपालन रिपोर्ट और पर्यावरण विवरण अपलोड किए जाएंगे।

कंपनी की वेबसाइट।

x) टी. एन. पी. सी. बी. को कमीशन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए "क्षेत्रीय

एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एजेंसी को शामिल करके तूतीकोरिन जिले में और उसके आसपास पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।

y) एन. जी. टी. के आदेश में निहित सी. पी. सी. बी. की सिफारिशें,

दिनांकित 20.08.2018 का अनुपालन किया जाना है।

प्रत्यर्थी के साथ-साथ अपीलार्थी दोनों ने समिति की रिपोर्ट पर अपनी विस्तृत टिप्पणियां दीं। एनजीटी ने तब अंतिम सुनवाई की

तर्क दिए और 15.12.2018 पर विवादित आदेश को निर्देशित किया, जिसमें इसने समिति की सिफारिशों को काफी हद तक स्वीकार कर लिया। ऐसा करते हुए, इसने समग्र अपील में छह विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया। एक प्रमुख

इस मामले में तमिलनाडु राज्य के साथ-साथ टी. एन. पी. सी. बी. दोनों का तर्क यह है कि एन. जी. टी. के समक्ष अपील विचारणीय नहीं है और इसलिए, 15.12.2018 दिनांकित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है।

10. इस आदेश के पोस्टस्क्रिप्ट के रूप में, टी. एन. पी. सी. बी. ने मामले को फिर से देखा, और 22.01.2019 दिनांकित एक और अस्वीकृति पत्र जारी किया, जिसके द्वारा

संचालन के लिए सहमति के नवीनीकरण की मांग करने वाला प्रतिवादी का आवेदन [2019] 3 एस. सी. आर. था।

यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि पिछले 20 वर्षों में विभिन्न पिछली सहमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

11. हमने सभी पक्षों के साथ-साथ हस्तक्षेप करने वालों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से व्यापक दलीलें सुनी हैं।

रखरखाव के साथ-साथ गुणों पर भी। चूँकि हम इस मामले का निर्णय केवल रखरखाव के आधार पर करेंगे, इसलिए हमने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी कहने का साहस नहीं किया है।

12. टी. एन. पी. सी. बी. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने हमें जल के विभिन्न प्रावधान दिखाए।

अधिनियम, वायु अधिनियम और एनजीटी अधिनियम ने तर्क दिया कि एनजीटी के समक्ष छह विवादित आदेश ऐसे आदेश थे जिन्हें एनजीटी द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता था। जहां तक दिनांक 1 के पहले आदेश का संबंध था, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अपील लंबित थी, जिसके परिणामस्वरूप, एनजीटी, जब उसने उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया था, तो ऐसा नहीं कर सकता था। इसी तरह, 12.04.2018,23.05.2018, और 28.05.2018 दिनांकित आदेश, के तहत किए गए हैं।

जल अधिनियम की धारा 33 ए और वायु अधिनियम की धारा 31 ए, समग्र आदेश जारी किए गए थे। वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत आदेश के रूप में वायु अधिनियम या एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के तहत एनजीटी में अपील करने योग्य नहीं थे, न्यायाधिकरण ने इन आदेशों में हस्तक्षेप करने में अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार द्वारा जल अधिनियम की धारा 18 के तहत जारी किया गया दिनांक 1 का आदेश निश्चित रूप से जल अधिनियम या एनजीटी के तहत अपील योग्य आदेश नहीं था

अधिनियम, और केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका में या एक दीवानी न्यायालय के समक्ष एक मुकदमे में न्यायिक समीक्षा में सही किया जा सकता था। उनके अनुसार, इसलिए, इस तरह के आदेश को रद्द करना भी पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना था। श्री के. वी

तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथन ने इन प्रस्तुतियों को जोड़ा। उन्होंने हमारे कुछ फैसलों के साथ-साथ अंग्रेजी अदालतों के कानूनों और फैसलों का हवाला देते हुए दिखाया कि एक बार अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील उपलब्ध हो जाने के बाद, जिसके बाद एनजीटी के पास अपील होती है, कोई पक्ष सीधे एनजीटी के पास नहीं जा सकता है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जल अधिनियम, वायु अधिनियम और एनजीटी अधिनियम की योजना के आधार पर यह भी तर्क दिया कि एनजीटी के समक्ष दायर सभी अपीलें अक्षम थीं। टी. एन. पी. सी. बी. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरु कृष्णकुमार ने भी रखरखाव पर एन. जी. टी. द्वारा दिनांकित 08.08.2013 द्वारा पारित आदेश की आलोचना की। उनके अनुसार, आवश्यकता का कोई सिद्धांत नहीं हो सकता है

यदि एक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील पर बहस नहीं की जा सकती थी।

तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

नतीजतन, एक लीपफ्रॉग अपील के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं होगा

एनजीटी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, इस आदेश को इस कारण से भी दरकिनार करना पड़ा कि यह मानते हुए भी कि अपीलीय प्राधिकरण का गठन उस तारीख को नहीं किया गया था जिस दिन अपील की जा सकती थी, एनजीटी, दूसरा अपीलीय न्यायाधिकरण होने के नाते, अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, और यह कि मूल आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत मुकदमा या रिट याचिका दायर करनी होगी।

13. इन दलीलों के विपरीत, श्री सी. ए. सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, तीनों मामलों में प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।

अधिनियम, और इसलिए, एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के तहत स्पष्ट रूप से अपील योग्य होगा। बिना किसी पूर्वाग्रह के एक और तर्क दिया गया कि यह मानते हुए कि अन्य सभी तर्क विफल हो गए हैं, ये मामले केवल प्रक्रियात्मक हैं, और इसलिए, अपीलों को आवश्यक रूप से विशेषज्ञ न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया जाना चाहिए जो पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ न्यायाधिकरण के रूप में गठित किया गया है। इसके लिए उन्होंने एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14,15,29 और 33 का उल्लेख किया और उन पर दृढ़ता से भरोसा किया। श्री सुंदरम ने तर्क दिया कि जहां तक जल अधिनियम की धारा 18 के तहत तमिलनाडु सरकार के दिनांक 1 के आदेश पर किए गए हमले का संबंध है कि जल अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पठित धारा 18 के उचित निर्माण पर, उक्त धारा के तहत केवल सामान्य मामलों से संबंधित एक सामान्य आदेश पारित किया जा सकता है, न कि [2019] 3 एस. सी. आर. को बंद करने का आदेश।

एक विशेष उद्योग। चूंकि धारा 18 का आदेश केवल एक विशेष उद्योग से निपटने के लिए है, इसलिए यह गैर-कानूनी है और इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। एक वैकल्पिक तर्क यह है कि भले ही आदेश में कहा गया है कि यह धारा 18 के तहत किया गया है, अन्यथा इसे संशोधन में दिए गए आदेश के रूप में जल अधिनियम की धारा 29 से पता लगाया जा सकता है, और इसलिए, इस तरह से अपील की जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब तर्क दिया कि, किसी भी मामले में, यह एक आदेश है जिसके द्वारा एक निर्देश दिया गया है

टी. एन. पी. सी. बी. को राज्य सरकार और इसलिए, सीधे उनके मुवक्किल को प्रभावित नहीं करती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब इस आदेश को एन. जी. टी. के समक्ष चुनौती दी गई थी, तो सरकार और टी. एन. पी. सी. बी. का बचाव यह होगा कि यह एक ऐसा आदेश है जो टी. एन. पी. सी. बी. पर बाध्यकारी होने के बावजूद प्रतिवादी को भी प्रभावित करेगा। यह मामला होने के कारण, एनजीटी हमेशा इस बात में जा सकता है कि क्या इस तरह का बचाव एक वैध बचाव है, और इसलिए, मामले का फैसला कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एनजीटी एक विशेषज्ञ निकाय है विशेष रूप से एक विशेष अधिनियम के तहत गठित, जो रिट अधिकार क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की तुलना में कहीं अधिक सुसज्जित है, और इसलिए, पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों का निर्णय अनिवार्य रूप से अकेले एनजीटी द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने हम पर भी भरोसा किया

एल. चंद्र कुमार बनाम में निर्णय। भारत संघ और ओआरएस। , (1997) 3 एस. सी. सी. 261 ["एल. चंद्र कुमार"], जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायाधिकरण न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और इसलिए, उच्च न्यायालय के समकक्ष होने के कारण, एन. जी. टी. न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है।

जल अधिनियम की धारा 18 के तहत पारित आदेश।

14. सभी पक्षों की विद्वान सलाह सुनना महत्वपूर्ण है

सबसे पहले विचाराधीन तीन अधिनियमों के प्रावधानों का विज्ञापन करना।

15. जल अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ इस प्रकार हैं:

" 18. निर्देश देने की शक्तियाँ। — (1) अपने प्रदर्शन में

इस अधिनियम के तहत कार्य -

(क) केंद्रीय बोर्ड लिखित रूप में ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा जो केंद्र सरकार उसे दे; और (ख) प्रत्येक राज्य बोर्ड ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा -

केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार इसे निम्न लिखित रूप में दे सकती है:

बशर्ते कि जहां राज्य सरकार द्वारा दिया गया निर्देश केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश से असंगत है, मामला अपने निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

XXX XXX "

मिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 25. नए आउटलेट और नए निर्वहन पर प्रतिबंध। (1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना, -

(क) किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया, या किसी भी उपचार और निपटान प्रणाली या किसी भी विस्तार या जोड़ को स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाएं, जिससे सीवेज या व्यापार अपशिष्ट को किसी धारा या कुएं या सीवर या भूमि पर छोड़ने की संभावना हो (ऐसा निर्वहन जिसे इस धारा में इसके बाद सीवेज निर्वहन के रूप में संदर्भित किया गया है); या (बी) निर्वहन के लिए किसी भी नए या परिवर्तित आउटलेट का उपयोग करें।

सीवेज का; या

(ग) सीवेज का कोई भी नया निर्वहन शुरू करनाः

बशर्ते कि कोई व्यक्ति कोई भी कदम उठाने की प्रक्रिया में हो

जल की शुरुआत से तुरंत पहले किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया की स्थापना (जल की रोकथाम और नियंत्रण)

प्रदूषण) संशोधन अधिनियम, 1988, जिसके लिए इस तरह के प्रारंभ से पहले किसी सहमति की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा करना जारी रख सकता है। ऐसी शुरुआत से तीन महीने की अवधि के लिए या, यदि उसने ऐसी सहमति के लिए आवेदन किया है, तो तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर, ऐसे आवेदन के निपटारे तक।

(2) उप-धारा (1) के तहत राज्य बोर्ड की सहमति के लिए आवेदन ऐसे प्रपत्र में किया जाएगा, जिसमें ऐसे विवरण होंगे और उसके साथ ऐसे शुल्क भी होंगे जो निर्धारित किए जाएं।

(3) राज्य बोर्ड उप-धारा में निर्दिष्ट सहमति के लिए आवेदन के संबंध में ऐसी जांच कर सकता है जो वह उचित समझे। (1) और ऐसी कोई जांच करने में ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो निर्धारित की जाए।

(4) राज्य बोर्ड कर सकता है -

(क) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपनी सहमति दे।

शर्तें जो वह लागू कर सकती हैं,

(i) धारा 25 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट मामलों में, सीवेज के निर्वहन के बिंदु के बारे में या सीवेज के निर्वहन के लिए उस आउटलेट या किसी अन्य आउटलेट के उपयोग के बारे में शर्तें; (ii) एक नए निर्वहन के मामले में, प्रकृति और संरचना, तापमान, आयतन या निर्वहन की दर [2019] 3 एस. सी. आर.

जिस भूमि या परिसर से निर्वहन या नया निर्वहन किया जाना है, वहां से निकलने वाले अपशिष्ट का; और

((ग) सहमति केवल उस अवधि के लिए मान्य होगी जो हो सके।

आदेश में निर्दिष्ट किया जाए,

और ऐसी कोई भी शर्तें किसी भी व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होंगी।

किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया, या उपचार और निपटान प्रणाली या विस्तार या जोड़ को स्थापित करने या स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाना, या नए या परिवर्तित आउटलेट का उपयोग करना, या उपरोक्त भूमि या परिसर से अपशिष्ट का निर्वहन करना;

या

(ख) लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसी सहमति से इनकार करना।

(5) जहां राज्य बोर्ड की सहमति के बिना कोई उद्योग, संचालन या प्रक्रिया, या कोई उपचार और निपटान प्रणाली या कोई विस्तार या जोड़ स्थापित किया गया है, या ऐसे प्रतिष्ठान के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या सीवेज के निर्वहन या सीवेज के नए निर्वहन के लिए एक नया या परिवर्तित आउटलेट उपयोग में लाया गया है।

इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत और ऐसे रजिस्टर में इस प्रकार निहित शर्तें इस बात का निर्णायक प्रमाण होंगी कि सहमति ऐसी शर्तों के अधीन दी गई थी। (7) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सहमति, जब तक कि पहले नहीं दी जाती या अस्वीकार नहीं की जाती है, यह माना जाएगा कि एक समझौता करने के चार महीने की अवधि की समाप्ति पर बिना शर्त दी गई थी।

इस संबंध में राज्य बोर्ड को हर तरह से आवेदन पूरा करें।

मिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(8) इस धारा और धारा 27 और 30 के प्रयोजनों के लिए,

(क) "नया या परिवर्तित निर्गम" पद का अर्थ है कोई भी निर्गम जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस पर या उसके बाद निर्मित है।

इस अधिनियम का प्रारंभ या जो (चाहे ऐसा हो)

निर्माण किया गया है या नहीं) इसके बाद काफी हद तक बदल दिया जाता है

शुरुआत;

(ख) "नया निर्वहन" पद का अर्थ है एक ऐसा निर्वहन जो प्रकृति और संरचना, तापमान, आयतन और प्रवाह की दर के संबंध में पर्याप्त रूप से पूर्ववर्ती के भीतर किए गए निर्वहन की निरंतरता नहीं है।

बारह मास (चाहे एक ही निर्गम द्वारा हो या एक अलग निर्गम द्वारा), ताकि एक निर्वहन जो अन्य मामलों में उपरोक्त के रूप में किए गए पिछले निर्वहन की निरंतरता है, किसी भी कारण से एक नया निर्वहन नहीं माना जाएगा।

पिछले निर्वहन की तुलना में प्रवाह के तापमान या आयतन या निर्वहन की दर में कमी।

" 26. सीवेज या व्यापारिक अपशिष्ट के मौजूदा निर्वहन के संबंध में प्रावधान। जहां इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले कोई व्यक्ति किसी सीवेज या व्यापार का निर्वहन कर रहा था।

एक धारा या कुएं या सीवर या भूमि पर अपशिष्ट, प्रावधान

धारा 25 की धारा, जहाँ तक हो सके, ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू होगी जो उस में निर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में लागू होती है।

धारा इस संशोधन के अधीन है कि सहमति के लिए आवेदन

उस धारा की उप-धारा (2) के तहत किया जाना ऐसी तारीख को या उससे पहले किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। " 27. राज्य बोर्ड द्वारा सहमति से इनकार या वापसी। (1) राज्य बोर्ड धारा 25 की उप-धारा (4) के तहत किसी भी उद्योग, संचालन या उद्योग की स्थापना के लिए अपनी सहमति नहीं देगा।

प्रक्रिया, या उपचार और निपटान प्रणाली या विस्तार या जोड़, या एक नए या परिवर्तित आउटलेट के उपयोग में लाने के लिए जब तक कि उद्योग, संचालन या प्रक्रिया, या उपचार और निपटान प्रणाली या विस्तार या जोड़, या आउटलेट इस तरह से स्थापित नहीं है कि बोर्ड द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए इसे सक्षम करने के लिए

अपशिष्ट के नमूने लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करना। (2) राज्य बोर्ड समय-समय पर समीक्षा कर सकता है।

(क) धारा 25 या धारा 26 के तहत लगाई गई कोई भी शर्त और उस व्यक्ति पर लागू हो सकती है जिसे धारा [2019] 3 एस. सी. आर. के तहत सहमति दी गई हो।

25 या धारा 26 को ऐसी किसी भी शर्त में कोई उचित परिवर्तन करने या उसे निरस्त करने का नोटिस दिया जाता है;

(ख) धारा 25 या धारा 26 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी सहमति से इनकार या बिना किसी शर्त के ऐसी सहमति का अनुदान, और ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(3) धारा 25 या धारा 26 के तहत लगाई गई कोई भी शर्त उप-धारा (2) के तहत किए गए किसी भी बदलाव के अधीन होगी और उस उप-धारा के तहत निरस्त होने तक लागू रहें।

" 28. अपील करते हैं। (1) धारा 25, धारा 26 या धारा 27 के तहत राज्य बोर्ड द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिस दिन आदेश उसे सूचित किया जाता है, ऐसे प्राधिकरण (इसके बाद संदर्भित) के समक्ष अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी के रूप में) जिसका गठन राज्य सरकार करना उचित समझेः

बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार कर सकता है

तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2) एक अपीलीय प्राधिकरण में एक व्यक्ति या तीन व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, जिन्हें उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) वह प्रपत्र और तरीका जिसमें अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है

उप-धारा (1) के तहत, ऐसी अपील के लिए देय शुल्क और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो निर्धारित की जाए।

(4) उप-धारा (1) के तहत दायर अपील की प्राप्ति पर, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी और राज्य बोर्ड को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील का यथासंभव शीघ्रता से निपटान करेगा। (5) यदि अपीलीय प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि लागू की गई कोई शर्त, या किसी भी शर्त में परिवर्तन, जैसा भी मामला हो,

अनुचित, तो, -

(क) जहां अपील किसी शर्त की अनुचितता के संबंध में की गई है, वहां ऐसा प्राधिकारी या तो यह निर्देश दे सकता है कि शर्त को निरस्त माना जाएगा या इसके स्थान पर ऐसी शर्त रखी जाएगी जो उसे प्रतीत होती है -

उचित; मिल नाडू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख) जहां अपील किसी शर्त के किसी भी परिवर्तन की अनुचितता के संबंध में है, वहां ऐसा प्राधिकारी या तो निर्देश दे सकता है कि शर्त को अपरिवर्तित रूप से लागू रहने के रूप में माना जाएगा या यह उस तरीके से बदला जाएगा जो दिखाई देता है।

इसे तर्कसंगत बनाने के लिए "।

" 29. पुनरीक्षण। (1) राज्य सरकार किसी भी समय अपने स्वयं के प्रस्ताव या इस संबंध में उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी मामले के रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकती है जहां राज्य बोर्ड द्वारा धारा 25, धारा 26 या धारा 27 के तहत आदेश दिया गया है ताकि वह ऐसे किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सके जो वह उचित समझेः

बशर्ते कि राज्य सरकार इस उप-धारा के तहत राज्य बोर्ड और ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

(2) राज्य सरकार धारा 25, धारा 26 या धारा 27 के तहत दिए गए किसी भी आदेश को संशोधित नहीं करेगी, जहां उस आदेश के खिलाफ अपील अपीलीय प्राधिकरण के पास है, लेकिन इसे प्राथमिकता नहीं दी गई है या जहां अपील को प्राथमिकता दी गई है, ऐसी अपील अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है।

XXX XXX XXX " 33 ए. निर्देश देने की शक्ति। किसी भी बात के बावजूद

किसी अन्य कानून में निहित, लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, और किसी भी निर्देश के लिए जो केंद्र सरकार इस संबंध में दे सकती है, एक बोर्ड, इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों के प्रदर्शन में, किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित रूप में कोई निर्देश जारी कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण। सन्देहों से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में निर्देश देने की शक्ति शामिल है।

(क) किसी भी उद्योग, संचालन को बंद करना, निषेध करना या विनियमित करना।

या प्रक्रिया; या

(ख) बिजली, पानी की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना या

कोई अन्य सेवा। "[2019] 3 एस. सी. आर

" 33 बी. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील करें। - कोई भी व्यक्ति। दुखी होकर,

(क) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद धारा 28 के तहत अपीलीय प्राधिकरण का आदेश या निर्णय; या

(ख) राष्ट्रीय हरित विधेयक के प्रारंभ पर या उसके बाद धारा 29 के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित एक आदेश।

न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010; या

(ग) बोर्ड द्वारा धारा 33-क के तहत जारी किए गए निर्देश, या

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रारंभ के बाद

अधिनियम, 2010,

उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकते हैं।

16. वायु अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ इस प्रकार हैं:

" 21. कुछ औद्योगिक संयंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध। (1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं करेगा:

बशर्ते कि वायु की धारा 9 (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) के शुरू होने से तुरंत पहले किसी भी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र का संचालन करने वाला व्यक्ति।

संशोधन अधिनियम, 1987, जिसके लिए पहले किसी सहमति की आवश्यकता नहीं थी

ऐसे प्रारंभ के लिए, ऐसे प्रारंभ से तीन महीने की अवधि के लिए या यदि उसने तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर ऐसी सहमति के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक ऐसा करना जारी रख सकता है।

निर्धारित किया गया: बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति, किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित करने से तुरंत पहले, ऐसे क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र संचालित करता है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि (तीन महीने से कम नहीं होने पर) के भीतर इस उप-धारा के तहत आवेदन करेगा।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(3) राज्य बोर्ड उप-धारा में निर्दिष्ट सहमति के लिए आवेदन के संबंध में ऐसी जांच कर सकता है जो वह उचित समझे। (1) और ऐसी कोई जांच करने में ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो निर्धारित की जाए।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सहमति के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद चार महीने की अवधि के भीतर, राज्य बोर्ड, लिखित आदेश द्वारा और आदेश में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी अवधि के लिए आवेदन की गई सहमति प्रदान करेगा जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए, या ऐसी सहमति से इनकार कर देगाः

बशर्ते कि राज्य बोर्ड के लिए यह खुला होगा कि वह उस अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी सहमति को रद्द कर दे जिसके लिए इसे दिया गया है या ऐसी समाप्ति के बाद आगे की सहमति से इनकार कर दे, यदि वे शर्तें पूरी नहीं होती हैं जिनके अधीन ऐसी सहमति दी गई हैः बशर्ते कि पहले परंतुक के तहत सहमति को रद्द करने या आगे की सहमति से इनकार करने से पहले, एक उचित अवसर

सुनवाई का अधिकार संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जिसे राज्य बोर्ड द्वारा उप-धारा (4) के तहत सहमति दी गई है, निम्नलिखित का पालन करेगाः शर्तें, अर्थात्ः

(i) इस संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के नियंत्रण उपकरण को उस परिसर में स्थापित और संचालित किया जाएगा जहां उद्योग चलाया जाता है।

या जारी रखने के लिए प्रस्तावित;

((ii) मौजूदा नियंत्रण उपकरण, यदि कोई हो, को राज्य के निर्देशों के अनुसार बदला या बदला जाएगा।

बोर्ड;

(खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट नियंत्रण उपकरण को हर समय अच्छी स्थिति में रखा जाएगा। ((iv) जहाँ भी आवश्यक हो, ऐसी विशिष्टताओं की चिमनी खड़ी की जाएगी जिन्हें राज्य बोर्ड इस संबंध में अनुमोदित कर सकता है या

ऐसे परिसर में पुनः स्थापित किया गया; [2019] 3 एस. सी. आर.

(v) ऐसी अन्य शर्तें जो राज्य बोर्ड निर्दिष्ट करे।

इस ओर से; और

((vi) खंड (i), (ii) और (iv) में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन राज्य बोर्ड की अवधि के भीतर किया जाएगा।

इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में ऐसे क्षेत्र की घोषणा, इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि छह महीने से कम नहीं होगी: आगे कहा गया है कि -

(ए) किसी भी नियंत्रण उपकरण की स्थापना के बाद

खंड (i) के तहत विनिर्देशों के साथ, या

(ख) खंड (ii) के तहत राज्य बोर्ड के निर्देशों के अनुसार किसी भी नियंत्रण उपकरण के परिवर्तन या प्रतिस्थापन के बाद, या

(ग) खंड के तहत किसी भी चिमनी के निर्माण या पुनः निर्माण के बाद

((iv),

राज्य बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अलावा किसी भी नियंत्रण उपकरण या चिमनी को बदला या बदला या फिर से खड़ा नहीं किया जाएगा। (6) यदि किसी तकनीकी सुधार के कारण या अन्यथा राज्य

बोर्ड की राय है कि उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी शर्त के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है या आवश्यकता होती है (किसी भी नियंत्रण उपकरण के परिवर्तन सहित, पूरी तरह से या आंशिक रूप से), राज्य बोर्ड, जिस व्यक्ति को सहमति दी गई है, उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसी सभी या किसी भी शर्त में परिवर्तन करेगा और उसके बाद ऐसा व्यक्ति इतनी विविध शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

XXX XXX XXX " 31. अपील करते हैं। (1) इस अधिनियम के तहत राज्य बोर्ड द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, एम. आई. एल. नाडू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तीस दिनों के भीतर कर सकता है।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्राधिकरण) जिसका गठन राज्य सरकार करना उचित समझेः बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकरण तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि ऐसे प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2) अपीलीय प्राधिकरण में एक व्यक्ति या तीन व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना उचित समझे।

(3) वह प्रपत्र और तरीका जिसमें अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है

उप-धारा (1) के तहत, ऐसी अपील के लिए देय शुल्क और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो निर्धारित की जाए। (4) उप-धारा (1) के तहत दायर अपील की प्राप्ति पर, अपीलीय प्राधिकरण, अपीलार्थी और राज्य बोर्ड को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील का यथासंभव शीघ्रता से निपटान करेगा।

" 31 ए. निर्देश देने की शक्ति। किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों और किसी भी निर्देश के अधीन जो केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और अपने कार्यों के प्रदर्शन का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित रूप में कोई निर्देश जारी कर सकती है, और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण। सन्देहों से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में निर्देश देने की शक्ति शामिल है।

(क) किसी भी उद्योग, संचालन को बंद करना, निषेध करना या विनियमित करना।

या प्रक्रिया; या

((ख) बिजली, पानी की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना या

कोई अन्य सेवा।

" 31 बी. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील करें। — राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद धारा 31 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय हरित [2019] 3 एस. सी. आर. में अपील दायर कर सकता है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण की स्थापना की गई।

17. एन. जी. टी. अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ इस प्रकार हैं:

" 2. परिभाषाएँ। — (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

XXX XXX XXX (एम) "पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न" में एक शामिल होगा

उदाहरण जहाँ,

(i) एक विशिष्ट वैधानिक पर्यावरण का सीधा उल्लंघन है।

एक व्यक्ति द्वारा दायित्व जिसके द्वारा,

(ए) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अलावा बड़े पैमाने पर समुदाय प्रभावित है या प्रभावित होने की संभावना है

पर्यावरणीय परिणाम; या

(बी) पर्यावरण या संपत्ति को नुकसान की गंभीरता है

सारवान; या

((ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान व्यापक रूप से मापा जा सकता है।

((ii) पर्यावरणीय परिणाम एक विशिष्ट गतिविधि से संबंधित होते हैं।

या प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत;

XXX XXX "

" 14. विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण। (1) न्यायाधिकरण के पास उन सभी दीवानी मामलों पर अधिकारिता होगी जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) शामिल है और ऐसा प्रश्न अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है। (2) न्यायाधिकरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का निपटारा करेगा और पारित करेगा।

उस पर आदेश दें।

(3) इस धारा के तहत विवाद के निर्णय के लिए किसी भी आवेदन पर न्यायाधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन इस तरह के विवाद के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ था:

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर आवेदन दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है। मिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v.

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 15. राहत, क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति। (1) न्यायाधिकरण, एक आदेश द्वारा, प्रदान कर सकता है - (क) अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत उत्पन्न होने वाले प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा (संचालन के दौरान होने वाली दुर्घटना सहित)।

कोई भी खतरनाक पदार्थ);

(बी) क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए; (ग) ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए, जैसे -

न्यायाधिकरण उचित समझ सकता है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट संपत्ति और पर्यावरण की राहत और क्षतिपूर्ति और पुनर्स्थापना, इसके तहत भुगतान या देय राहत के अतिरिक्त होगी।

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर आवेदन दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है। (4) सार्वजनिक स्वास्थ्य, संपत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण मुआवजे या राहत को विभाजित कर सकता है।

अनुसूची II में निर्दिष्ट अलग-अलग शीर्षों के तहत देय ताकि दावेदारों को मुआवजा या राहत प्रदान की जा सके और क्षतिपूर्ति की जा सके।

क्षतिग्रस्त संपत्ति या पर्यावरण, जैसा कि वह उचित समझे।

(5) इस अधिनियम के तहत मुआवजे या राहत का प्रत्येक दावेदार न्यायाधिकरण को किसी अन्य अदालत या प्राधिकरण को दायर किए गए आवेदन या, जैसा भी मामला हो, मुआवजे या राहत के बारे में सूचित करेगा। " 16. न्यायाधिकरण के पास अपीलीय अधिकार क्षेत्र होगा। कोई भी व्यक्ति

से व्यथित, -

(क) अपीलीय द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया आदेश या निर्णय।

जल की धारा 28 के तहत प्राधिकरण (रोकथाम और

प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6); 3 एस. सी. आर.

(राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जल (रोकथाम और नियंत्रण) की धारा 29 के तहत पारित एक आदेश।

प्रदूषण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6);

(ग) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 33-ए के तहत किसी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद जारी किए गए निर्देश; (घ) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36) की धारा 13 के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया आदेश या निर्णय;

(ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 2 के तहत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया आदेश या निर्णय; (च) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद, वायु की धारा 31 के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया गया एक आदेश या निर्णय (रोकथाम और बचाव)

प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14);

(छ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद जारी किया गया कोई भी निर्देश;

(ज) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया एक आदेश, जिसमें उस क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरी दी गई है जिसमें कोई भी उद्योग, संचालन या

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन प्रक्रियाओं या उद्योगों के वर्ग, संचालन और प्रक्रियाओं को नहीं किया जाएगा या किया जाएगा।

1986 (29 1986);

(i) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया एक आदेश, जो किसी भी गतिविधि को करने के लिए पर्यावरण मंजूरी देने से इनकार करता है या

पर्यावरण (संरक्षण) के तहत संचालन या प्रक्रिया

अधिनियम, 1986 (1986 का 29);

(जे) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रारंभ पर या उसके बाद किए गए लाभ साझा करने या आदेश का कोई निर्धारण।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) के प्रावधानों के तहत अधिनियम, 2010,

उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जिस दिन आदेश या निर्णय या निर्देश या निर्धारण उसे सूचित किया जाता है, न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है:

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी

भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था उक्त अवधि के भीतर, इसे इस धारा के तहत दायर करने की अनुमति दें

आगे की अवधि साठ दिनों से अधिक नहीं होगी।

" 29. अधिकारिता का बार। — (1) तारीख से प्रभावी इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना, किसी भी दीवानी अदालत को किसी भी मामले के संबंध में किसी भी अपील पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे न्यायाधिकरण अपने अपीलीय के तहत निर्धारित करने के लिए सशक्त है।

अधिकार क्षेत्र।

(2) किसी भी दीवानी अदालत के पास विवाद को निपटाने या सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

कोई राहत देने के किसी दावे से संबंधित कोई प्रश्न या क्षतिग्रस्त या पर्यावरण से क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा या पुनर्स्थापना जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, और नहीं

या द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में निषेधाज्ञा

ऐसे विवाद के निपटारे के संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष या कोई राहत या मुआवजा देने या क्षतिग्रस्त या पर्यावरण से क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए ऐसे किसी भी दावे को मंजूरी दी जाएगी। दीवानी अदालत द्वारा "।

XXX XXX XXX

" 33. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। इसके प्रावधान

अधिनियम, कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होगा

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में निहित है।

18. अब यह महत्वपूर्ण है कि दोनों दिनांकित 08.08.2013 आदेशों का विज्ञापन किया जाए।

5.12.2018 , जहाँ तक वे अपीलों की रखरखाव क्षमता से संबंधित हैं

और उन्हें।

19. एन. जी. टी. दिनांक 08.08.2013 के फैसले के अनुसार, एन. जी. टी. रखरखाव पर याचिका की धारा इस प्रकार हैः

" 62. एक अन्य पहलू जो उस दृष्टिकोण का समर्थन करेगा जो हम ले रहे हैं यह आवश्यकता का सिद्धांत है। तथ्यों में कहीं भी और [2019] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वायु अधिनियम। वायु अधिनियम की धारा 31 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील वायु अधिनियम की धारा 31 बी के संदर्भ में एनजीटी के पास है। दूसरे शब्दों में, वायु अधिनियम की धारा 31 के तहत उचित प्राधिकरण द्वारा पारित अपीलीय आदेश धारा 31 बी के संदर्भ में एनजीटी को अपील करने योग्य है। इस प्रकार, एन. जी. टी. राज्य सरकार द्वारा वायु अधिनियम की धारा 31 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण का अपीलीय प्राधिकरण है। अपीलार्थी-कंपनी ने खुद हार मान ली है मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पहली अपील करने का अधिकार। प्रत्यर्थियों ने मनोहर लाल बनाम मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। भारत संघ, (2010) 11 एस. सी. सी. 557 जहाँ

न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि पदानुक्रम में कोई भी उच्च प्राधिकारी या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण वैधानिक प्राधिकरण की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है और न ही वरिष्ठ प्राधिकारी अपने विवेक को गिरवी रख सकता है और वैधानिक प्राधिकरण को किसी विशेष मामले में कार्य करने का निर्देश दे सकता है।

तरीके से। सबसे पहले तथ्यों और कानून पर यह निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। दूसरा, प्राधिकरण का गैर-गठन स्वयं वर्तमान मामले को मनोहर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आवेदन से बाहर लाएगा।

लाल (ऊपर)।

मिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

63. हम इस तर्क में अपना योगदान देने में असमर्थ हैं कि वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत पारित निर्देश वायु अधिनियम की धारा 31 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'आदेश' के तहत नहीं आता है। किसी भी निर्देश में अनिवार्य रूप से आदेश का एक तत्व होगा जिसकी आवश्यकता होती है और पक्षकारों से इसका पालन करने का आह्वान किया जाता है। 'निर्देशन' का अर्थ है एक आदेश; एक निर्देश कि कैसे आगे बढ़ना है, जैसे कि जूरी को न्यायाधीश का निर्देश, जबकि 'आदेश' को एक आदेश, निर्देश या निर्देश के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 9 वां संस्करण, इन दो अभिव्यक्तियों को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, उनका उपयोग समानार्थक शब्दों के रूप में किया जा सकता है। वे परस्पर विरोधी शब्द नहीं हैं और एक को दूसरे में पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार,

हम की ओर से उठाए गए इस विवाद में कोई सार नहीं पाते हैं

उत्तरदाताओं।

64. एक अपीलीय प्राधिकरण, जिसका गठन क़ानून के तहत किया जाता है, न्यायिक कार्यवाही से निपटने के लिए अन्यथा गठित प्रशासनिक प्राधिकरण से पूरी तरह से अलग और अलग होता है।

अपीलीय प्राधिकारी के मामले में, उसे वास्तविक रूप से अस्तित्व को संतुष्ट करना चाहिए और कानून के अनुसार न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए। यदि अपीलीय प्राधिकरण स्वयं अधिसूचना के अनुरूप नहीं था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह तीन सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण के गठन के बिना कानून के अनुसार कार्य कर सकता है। इस चर्चा का संचयी प्रभाव यह है कि रखरखाव के संबंध में आपत्ति बिना किसी सार के है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है। इस निष्कर्ष को देखते हुए, हमारे लिए यह जांच करना आवश्यक नहीं है कि क्या इसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (संक्षेप में 'एनजीटी अधिनियम') की धारा 14 के तहत एक याचिका के रूप में माना जा सकता है, भले ही यह वर्तमान अपील की स्थिरता के संबंध में प्रतिवादी द्वारा की गई आपत्ति को देखते हुए बनाए रखने योग्य न हो।

20. जहाँ तक दिनांकित 15.12.2018 के निर्णय का संबंध है, रखरखाव पर 'निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 44. यह निर्विवाद है कि यह न्यायाधिकरण एक अपीलीय प्राधिकरण है जहाँ तक वायु अधिनियम और जल अधिनियम के तहत बंद करने के आदेशों का संबंध है। 12.04.2018,23.05.2018 और 28.05.2018 दिनांकित आक्षेपित आदेश ऐसे आदेश हैं। केवल यह तथ्य कि संचालन के लिए सहमति के नवीनीकरण को अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रदान की गई है और दायर की गई थी, इस न्यायाधिकरण द्वारा अपीलीय प्राधिकरण की शक्तियों के प्रयोग के लिए एक बाधा होगी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अपीलीय [2019] 3 एस. सी. आर.

प्राधिकरण ने मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। दिनांकित 09.04.2018,12.04.2018,23.05.2018 और 28.05.2018 के आक्षेपित आदेशों में आधार समान हैं। यदि अपीलों को विचारणीय नहीं माना जाता है, तो अपीलार्थी बंद करने के आदेश के खिलाफ बिना किसी उपाय के होगा। अपीलीय प्राधिकरण का आदेश भी एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 16 (एफ) के तहत इस न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य है। इस प्रकार, हम प्रतिवादी की आपत्तियों में इस मामले में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। 45. केवल यह तथ्य कि तमिलनाडु राज्य ने भी टी. एन. पी. सी. बी. के आदेश का समर्थन किया है और राज्य का वह आदेश इस न्यायाधिकरण में अपील करने योग्य नहीं है, इस कानूनी स्थिति से विचलित नहीं होता है कि टी. एन. पी. सी. बी. का आदेश इस न्यायाधिकरण में अपील करने योग्य है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य का आदेश एक नीतिगत मामला नहीं है, बल्कि केवल टी. एन. पी. सी. बी. के आदेश का समर्थन है।

XXX XXX XXX 48. जल अधिनियम की धारा 18 (1) (बी) के तहत जारी तमिलनाडु सरकार के आदेश को भी एक स्वतंत्र आदेश नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जल अधिनियम की धारा 18 (1) (बी) के तहत जारी किए गए आदेश पर भरोसा किया जा सकता है और इसका समर्थन किया जा सकता है।

टी. एन. पी. सी. बी. जो चुनौती के तहत है और जो बंद करने का आदेश देने या सहमति देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि तमिलनाडु सरकार के पास इस आधार पर बंद करने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है कि इकाई को काम करने की अनुमति देने वाले पर्यावरण को अपरिवर्तनीय प्रदूषण का कारण बन रहा है, तो इसे उद्योग को स्थायी रूप से बंद करने का नीतिगत निर्णय नहीं कहा जा सकता है और यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आदेश के आधार पर कोई आदेश पारित किया गया था, बिना स्वतंत्र आवेदन के

इस न्यायाधिकरण की उन अपीलों पर विचार करना जहां उन पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है। 49. वर्तमान कार्यवाहियों में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अपीलीय प्राधिकरण ने मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है और आदेश तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v.

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बंद करना इस न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य होने के कारण, अपील को विचारणीयता के आधार पर अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है ताकि अपीलार्थी को मामले में किसी भी न्यायिक उपचार से वंचित किया जा सके।

(1) आरईः दिनांकित आदेश 09.04.2018

21. यह आदेश एक ऐसा आदेश है जिसने संचालन के लिए सहमति के नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया है, और इसलिए, जल अधिनियम की धारा 27 और वायु अधिनियम की धारा 21 का पता लगाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जल अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ अपील उक्त अधिनियम की धारा 28 के तहत अपीलीय प्राधिकरण को अपील करने योग्य है। खंड के तहत 33 उक्त अधिनियम के बी (ए), यदि कोई व्यक्ति धारा 28 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या निर्णय से व्यथित है, तो यह एनजीटी में अपील योग्य है। एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 16 (ए) द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है। समान रूप से, वायु अधिनियम की धारा 21 के तहत सहमति से इनकार करने का आदेश वायु अधिनियम की धारा 31 के तहत अपीलीय प्राधिकरण को और उसके बाद, उक्त अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से, वायु अधिनियम की धारा 31 बी और एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (एफ) के तहत एनजीटी को अपील करने योग्य है।

22. जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह स्पष्ट है कि वायु अधिनियम और जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण को एक अपील, वास्तव में, अपील संख्या को प्राथमिकता दी गई थी। 36-37 2018 से। जबकि ये अपीलें अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित थीं, 2018 की समग्र अपील संख्या 87 को दिनांक 2 के संचालन के लिए सहमति से इनकार करने के आदेश के खिलाफ एनजीटी के समक्ष 1 नंबर पर दायर किया गया था। हालाँकि, श्री सुंदरम ने हमारे सामने तर्क दिया कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांकित आदेश, जिसे हमने यहाँ ऊपर निर्धारित किया है, यह स्पष्ट करता है कि अपीलों पर सुनवाई नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार ने दिनांकित आदेश पारित किया था जिसमें टीएनपीसीबी को संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया था। श्री सुंदरम को जो बात याद आती है वह यह है कि

उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलों पर इस समय निर्णय नहीं लिया जा सका और इसलिए उन्हें 10.07.2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 10.07.2018 पर उक्त अपीलों को आगे स्थगित कर दिया गया था, और यह केवल 18.12.2018 पर है कि उन्हें अंततः इस तथ्य को देखते हुए निष्फल होने के कारण वापस ले लिया गया था कि एनजीटी ने 15.12.2018 पर अपना आदेश पारित किया था जिसमें उसने दिनांकित 09.04.2018 के आदेश को दरकिनार कर दिया था।

23. तथ्यों के उपरोक्त विवरण से जो बात स्पष्ट हो जाती है वह यह है कि जब अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील अभी भी लंबित थी,

एनजीटी ने दिनांकित 09.04.2018 के मूल आदेश के खिलाफ सीधे तौर पर एक मामला उठाया, जिसे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, इससे पहले कि अपीलीय प्राधिकरण इसका निर्णय ले सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुंदरम ने वायु अधिनियम की धारा 28 (4) और जल अधिनियम की धारा 31 (4) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलीय प्राधिकरण को की गई अपीलों पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए, और यदि उनका निर्णय नहीं लिया गया, तो अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मामले पर शीघ्रता से निर्णय नहीं लेने के फैसले के खिलाफ एनजीटी में अपील की जाएगी। इस तर्क को भी नकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में, कार्यवाही को स्थगित करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के किसी भी आदेश से कोई अपील नहीं की गई थी। जैसा कि हमने देखा है, टी. एन. पी. सी. बी. के दिनांक 09.04.2018 के आदेश से सीधे एक अपील दायर की गई थी। 24. इस बिंदु पर, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है। कुंडूर रुद्रप्पा बनाम। मैसूर राजस्व अपीलीय

न्यायाधिकरण और अन्य। , (1975) 2 एस. सी. सी. 411, इस न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 64 पर विचार करते हुए कहाः

अनुमति देने वाले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पहले के प्रस्ताव के अनुसरण में अनुमति जारी करने के खिलाफ न्यायाधिकरण। केवल धारा 64 (1) (ए) को पढ़ना आवश्यक है जो इसके लिए सामग्री है। इस अपील का उद्देश्यः

" 64. (1) (क) राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट देने से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति, या

उसे दिए गए परमिट से जुड़ी शर्त।

निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित तरीके से गठित राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं। उप-धारा (2) के तहत, जो ऐसे व्यक्ति और मूल प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद,

उस पर कौन सा निर्णय अंतिम होगा।

5. अपील क़ानून का एक हिस्सा है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 64 ही एकमात्र धारा है जो अपील के अधिकार पैदा करती है। अनुमति देने और अन्य मामलों के खिलाफ जिनके साथ हम यहाँ संबंधित नहीं हैं। परमिट देने के आदेश के अनुसरण में परमिट जारी करने के आदेश के खिलाफ धारा 64 के तहत कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। परमिट जारी करना केवल एक मंत्रिस्तरीय एम. आई. एल. नाडू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v है।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

परमिट के अनुदान के बाद आवश्यक रूप से कार्य करें। अपीलें

राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष और आगे की अपील

अधिनियम की धारा 64 के तहत सक्षम और दोनों न्यायाधिकरणों ने अपीलों पर विचार करने और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

अनुमति देने वाले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का आदेश जो

अपीलीय न्यायाधिकरण और मैसूर द्वारा दूसरी अपील में आगे राजस्व अपीलीय न्यायाधिकरण। इसलिए, एक स्पष्ट त्रुटि थी

हस्तक्षेप करने में दोनों न्यायाधिकरणों की ओर से अधिकारिता

अपीलार्थी को अनुमति का अनुदान। उच्च न्यायालय था,

इसलिए, अपीलार्थी के रिट आवेदन को खारिज करना सही नहीं है।

जिसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी।

(जोर दिया गया)

25. इसी तरह, सेल्युलर में सिन्हा, जे. के एक सहमत निर्णय में

एटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. भारत संघ और

(2003) 3 एस. सी. सी. 186, विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी कीः

" 27. टी. डी. एस. ए. टी. को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता थी

अधिनियम की धारा 14-ए। टीडीएसएटी स्वयं एक विशेषज्ञ निकाय है और इसका

धारा 14 की उप-धारा (7) को ध्यान में रखते हुए अधिकारिता व्यापक है।

उनमे से एक। इसका अधिकार क्षेत्र वैधता की जांच करने तक फैला हुआ है, किसी निर्देश/आदेश या निर्णय की औचित्य या शुद्धता

धारा 14 की उप-धारा (2) के संदर्भ में प्राधिकरण और उसकी उप-धारा (1) के तहत आवेदन में किया गया विवाद। द.

विद्वान टी. डी. एस. ए. टी. का दृष्टिकोण, इस आधार पर है कि इसका

न्यायक्षेत्र सीमित या न्यायिक समीक्षा की शक्ति के समान है,

इसलिए, पूरी तरह से अस्थिर। एक के अधिकार क्षेत्र का विस्तार

न्यायालय या न्यायाधिकरण संबंधित कानून पर निर्भर करता है। टीडीएसएटी एक है एक कानून का प्राणी। इसका अधिकार क्षेत्र भी एक क़ानून द्वारा प्रदान किया जाता है।

टीडीएसएटी के निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया है -

इसके अधिकार क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार कानून में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया "।

(जोर दिया गया)

26. बी. हिम्मतलाल अग्रवाल बनाम। प्रतियोगिता आयोग

1 , सिविल अपील सं. 5029/2018 [18.05.2018 पर निर्णय लिया गया], यह न्यायालय,

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53 बी के संबंध में अभिनिर्धारित किया गयाः

" 7. इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान किसी को भी अधिकार प्रदान करता है -

उसमें उल्लिखित पीड़ित पक्षकारों को अपील करना पसंद है

अपील दायर करने और उक्त अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार, यदि यह सीमा की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो द्वारा प्रदान किया जाता है

कानून और जिसे शर्त लागू करके दूर नहीं किया जा सकता है मुख्य अपील को खारिज करने के लिए एक राशि जमा करना

यदि उक्त शर्त पूरी नहीं होती है। पद होगा अलग था यदि अपील के प्रावधान में ही एक शर्त थी

अपील पर आदेश पारित करना, जैसा कि वह उचित समझता है अर्थात या तो पुष्टि करना, अपील किए गए निर्देश, निर्णय या आदेश को संशोधित या अलग करना

खिलाफ। यह सुनवाई का अवसर देने के बाद किया जाना है

अपील के पक्षकार। इस प्रकार, इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि अपील करनी होगी

योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाए। अपीलीय न्यायाधिकरण, जो प्राणी है

कानून द्वारा निर्धारित क्षेत्र के भीतर कार्य करना है / वैधानिक प्रावधान। यह प्रावधान कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि

अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलार्थी को एक निश्चित राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है।

अपील की सुनवाई के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में राशि। वास्तव में,

तत्काल मामले में भी ऐसा नहीं किया गया था। यह कीमत पर कहा गया है

दोहराएँ कि जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने की शर्त

इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण को खारिज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था स्वयं अपील करें। "

(जोर दिया गया)

27. राजा साबुन कारखाना बनाम। एस. पी. शांतराज (1965) 2 एस. सी. आर.

वादी ने मैसूर के उच्च न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ पारित करने की प्रकृति में एक कार्रवाई शुरू की, जिसमें कहा गया कि वे अनन्य हैं।

एक विशेष व्यापार चिह्न का आर. एस. इस न्यायालय ने पाया कि

मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश मैसूर अधिनियम 5 62 द्वारा शासित है। अभिनिर्धारित करते हुए कि उक्त उच्च न्यायालय किसी भी मूल का प्रयोग नहीं करता है

वस्तुतः, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" मैसूर उच्च न्यायालय अपने संविधान के अनुसार मुख्य रूप से एक न्यायालय है। अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करनाः यह मूल अभ्यास करने में सक्षम है

केवल उन मामलों में अधिकारिता जिनके संबंध में विशेष एम. आई. एल. नाडू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v.

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिनियमों को विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश किया गया है। द हाई

न्यायालय धारा के तहत मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम है।

105 1958 के व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम 43 का, यदि -

एक जिले के सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के साथ निवेश किया गया

न्यायालय, और अन्यथा नहीं, और मैसूर का उच्च न्यायालय नहीं

उस अधिकार क्षेत्र के साथ अपने संविधान के तहत किसी भी क़ानून द्वारा निवेश किया गया

लेकिन यह आग्रह किया गया कि एक राज्य में उच्च न्यायालय शीर्ष पर है दीवानी न्यायालयों का पदानुक्रम और उनके पास वे सभी शक्तियाँ हैं जो

अधीनस्थ न्यायालय अभ्यास कर सकते हैं, और यह मनोरंजन करने के लिए सक्षम है

मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में सभी कार्य जो किसी में निहित हो सकते हैं

हमारा न्यायशास्त्र। न्यायालय की अधिकारिता का अर्थ है - संदर्भ के साथ निर्धारित न्याय का प्रशासन करने के लिए न्यायालय का अधिकार

विषय-वस्तु, आर्थिक मूल्य और स्थानीय सीमाएँ। छोड़ दें। जिन मामलों में अधिकारिता स्पष्ट रूप से विशेष द्वारा प्रदान की जाती है

कानून, जैसे कंपनी अधिनियम; बैंकिंग कंपनी अधिनियम,

मैसूर उच्च न्यायालय अकेले अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करता है।

अपील की अदालत के रूप में यह निस्संदेह शीर्ष पर है

बता दें, लेकिन उस कारण से यह मूल के साथ निवेशित नहीं है

उन मामलों में अधिकारिता जो इसके भीतर स्पष्ट रूप से घोषित नहीं हैं

ज्ञान "।

(पृष्ठ 802 पर)

28. उत्तरी प्लास्टिक लिमिटेड में v. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स एम. एफ. जी.

लिमिटेड और ओआरएस। , (1997) 4 सीमा शुल्क 1962 की एस. सी. सी. 452, धारा 129-डी को संदर्भित किया गया था, जिसके तहत, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड एक कलेक्टर को निर्धारण के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन करने का निर्देश देता है।

इस तरह के निर्देश के बिना भी, भारत संघ एक अपील दायर कर सकता है इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 10. .... अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं

संदेह है कि वे एक पूर्ण योजना या कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं कलेक्टर (सीमा शुल्क) द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देना

अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना। जहाँ तक विभागीय

कलेक्टर सहित अधिकारी स्वयं चिंतित हैं

सीमा शुल्क ने कलेक्टर को अपील करने का कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं दिया है।

सी. ई. जी. ए. टी. के समक्ष अपने ही आदेश के खिलाफ अपील करना पसंद करते हैं। हालांकि

[2019] 3 एस. सी. आर. द्वारा राजस्व को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय के गलत आदेशों को चुनौती देने के लिए अधिनियम

जैसा कि सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा केंद्रीय को स्थानांतरित करके पारित किया गया था

धारा 129-डी (1) के तहत उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

XXX XXX XXX " 12. ..... लेकिन अगर ऐसा है, तो भी वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है

उपरोक्त प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों, जिनका हमने उल्लेख किया है, के अनुसार अपील या संशोधनों के माध्यम से सीमा शुल्क कलेक्टर के निर्णय आदेश का ऐसी स्थिति में पालन किया जाना चाहिए। उक्त वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सी. ई. जी. ए. टी. की ओर सीधी छलांग लगाना अधिनियम की वैधानिक योजना द्वारा इंगित किया गया है। यदि ऐसी प्रत्यक्ष अपीलों की अनुमति दी जाती है तो धारा 129-डी (1) को निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उद्योगों के माध्यम से भारत संघ द्वारा दायर सीधी अपील

अक्षम। यह जोड़ा जा सकता है कि भारत संघ हो सकता है धारा 129-डी में निर्धारित मोड का उपयोग किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

29. मनोहर लाल बनाम। उग्रसेन, (2010) 11 एस. सी. सी. 557, निर्णय के उप-पैराग्राफ 2 (ए) के तहत शामिल आयनों में से एक, इस प्रकार था

बनाम ः

" 2. इन अपीलों में, कानून के तीन महत्वपूर्ण प्रश्न

इस न्यायालय का विचार शामिल है। वे इस प्रकार हैंः

(क) इस बारे में कि क्या राज्य सरकार, कानून के तहत एक पुनरीक्षण प्राधिकरण, अपने आप को एक निम्न अधिकारी का कार्य संभाल सकती है।

वैधानिक प्राधिकरण?

XXX XXX "

कई मामलों की समीक्षा करने के बाद, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः " 23. इसलिए, प्रश्न पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि पदानुक्रम या अपीलीय में कोई उच्च प्राधिकारी नहीं है।

या पुनरीक्षण प्राधिकरण सांविधिक प्राधिकरण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न ही वरिष्ठ प्राधिकरण अपने विवेक को गिरवी रख सकता है और सांविधिक प्राधिकरण को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश दे सकता है।

यदि मिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण वैधानिक प्राधिकरण का कार्य अपने ऊपर लेता है और एक आदेश पारित करता है, यह अप्रवर्तनीय रहता है।

इस कारण से कि इसे पारित आदेश नहीं कहा जा सकता

अधिनियम के तहत। ”

30. आर्कोट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड बनाम। क्षेत्रीय भविष्य निधि

मिशनरी, (2013) 16 एस. सी. सी. 1, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधानों के लिए गठित न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करता है।1952 , अधिनियम की धारा 7-I के तहत। जबकि अपीलें इसके खिलाफ थीं।

अधिनियम की धारा 7-ए के तहत पारित किए गए, जिसमें प्रावधान किया गया था

नियोक्ताओं से देय धन का खनन, उक्त अधिनियम की धारा 7-क्यू के तहत आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं थी, जिसमें नियोक्ता द्वारा देय ब्याज की बात की गई थी। इस न्यायालय ने कहाः

" 20. धारा 7-I की जांच पर, हम देखते हैं कि भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है और यह धारा 7-क्यू के तहत किए गए निर्धारण के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं करती है। कानून में यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील का अधिकार क़ानून का एक हिस्सा है, क्योंकि अपील का अधिकार किसी में भी निहित नहीं है और इसलिए, अपील की स्थिरता के लिए कानून का अधिकार होना चाहिए। यह स्थिति अपील के लिए एक प्रावधान होने के कारण न तो इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए

सख्ती से और न ही बहुत उदारता से, अगर इनमें से किसी भी चरम पर दिया जाता है

व्याख्या में, यह विधायी उद्देश्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के साथ-साथ उपयुक्त मंच के समक्ष कार्यवाही में बाधा डालने के लिए बाध्य है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपील का अधिकार तब तक अस्तित्व में नहीं माना जा सकता है जब तक कि क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है और अपील का उपाय वैधानिक प्रावधानों के लिए वैध रूप से पता लगाने योग्य होना चाहिए। यदि किसी प्रावधान में प्रयुक्त व्यक्त शब्द किसी विशेष आदेश से अपील प्रदान नहीं करते हैं, तो न्यायालय व्यक्त आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। शब्द। इसे अन्यथा रखने के लिए, इसकी रखरखाव के लिए एक अपील के पास कानून का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए और यह बताता है कि अपील के अधिकार को क़ानून के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। (गंगा बाई बनाम देखें। विजय कुमार [(1974) 2 एस. सी. सी. 393], गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम। नगर निगम। अहमदाबाद शहर का [(1999) 4 एस. सी. सी. 468], हरियाणा राज्य बनाम। मारुति उद्योग लिमिटेड [(2000) 7 एस. सी. सी. 328], सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(2009) 10 एस. सी. सी. 531: (2009) 4 एस. सी. सी. (सिविल) 280], राज कुमार शिवहरे बनाम। प्रवर्तन निदेशालय [(2010) 4 एससीसी 772: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 712], भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाम। सेल [(2010)

10 एस. सी. सी. 744])

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैराग्राफ 21 में, इस न्यायालय ने आगे यह निर्णय दिया कि यदि धारा 7-ए के तहत एक आदेश भुगतान में देरी के साथ-साथ ब्याज की बात करता है,

पारित एक समग्र आदेश धारा 7 I के तहत अपील करने के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि धारा 7 ए के तहत देय मूल राशि पर ब्याज केवल परजीवी है। हालांकि, यदि केवल ब्याज के लिए धारा 7-क्यू के तहत एक स्वतंत्र आदेश पारित किया जाता है, तो इसे अपील योग्य नहीं माना गया था।

31. उपरोक्त प्राधिकरणों से, यह स्पष्ट है कि एक अपील क़ानून का एक रूप है और एक अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र के भीतर सख्ती से कार्य करना पड़ता है

कानून द्वारा निर्धारित। यह स्पष्ट है कि जल अधिनियम की धारा 28 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या निर्णय के खिलाफ एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (ए) के साथ पठित जल अधिनियम की धारा 33 बी (ए) के तहत ही एनजीटी में अपील की जाएगी। इसी तरह, एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (एफ) के साथ पठित वायु अधिनियम की धारा 31 बी के तहत ही एनजीटी को वायु अधिनियम की धारा 31 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या निर्णय के खिलाफ अपील की जाएगी। जाहिर है, चूंकि जल अधिनियम या वायु अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश या निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए एनजीटी को मूल आदेश के खिलाफ कोई भी सीधी अपील अक्षम होगी। एन. जी. टी. के अधिकार क्षेत्र को जल अधिनियम की धारा 33 बी द्वारा सख्ती से सीमित किया जा रहा है, जिसे वायु अधिनियम की धारा 31 बी के साथ पढ़ा जाता है।

एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 16 (ए) और (एफ) यह स्पष्ट करेगी कि यह केवल अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या निर्णय हैं जो अपील योग्य हैं, और

मूल आदेश नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अपील लंबित थी जब एनजीटी ने मूल आदेश दिनांक 09.04.2018 को दरकिनार कर दिया था। इस मामले में, एन. जी. टी. का आदेश स्पष्ट रूप से जल अधिनियम, वायु अधिनियम और एन. जी. टी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपनी वैधानिक शक्तियों के बाहर होने के कारण, अधिकार क्षेत्र के बिना पारित एक आदेश होगा।

32. वास्तव में, यूनाइटेड किंगडम में, कई अधिनियम हैं जिनके तहत एक छलांग की अपील की अनुमति है यदि आम जनता का कानून का एक बिंदु है। महत्व शामिल है। इस प्रकार, न्याय प्रशासन अधिनियम, 1969 में कहा गया है कि निचली शर्तों में विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी त्वरित अपील दायर की जा सकती हैः

" 12. विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करना।

(1) जहां किसी भी कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष के आवेदन पर, जिस पर यह धारा लागू होती है, न्यायाधीश संतुष्ट होता है

(क) कि उन कार्यवाहियों में उसके निर्णय के संबंध में प्रासंगिक शर्तों को पूरा किया जाता है या मिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v की शर्तों को पूरा किया जाता है।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उप-धारा (3ए) ("वैकल्पिक शर्तें") में संतुष्ट हैं -

(ख) कि इस अधिनियम के इस भाग के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए पर्याप्त मामला बनाया गया है ताकि इसे उचित ठहराया जा सके। ऐसी अपील करने के लिए अनुमति के लिए एक आवेदन।

(सी)। . . . .

न्यायाधीश, इस भाग के निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन रहते हुए

अधिनियम, उस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है।

(2) यह धारा उच्च न्यायालय में किसी भी दीवानी कार्यवाही पर लागू होती है जो या तो

(धारा 3 के तहत ऐसे न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति सहित न्यायपालिका अधिनियम 1925), या

(बी)।

. . . .

(ग) प्रभागीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही।

(3) इस धारा के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत किए गए परिषद के किसी आदेश के अधीन, इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी भी कार्यवाही में न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में प्रासंगिक शर्तें यह हैं कि उस निर्णय में सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का एक बिंदु शामिल है और वह कानून का बिंदु या तो -

(क) पूर्णतः या मुख्य रूप से किसी अधिनियम या सांविधिक लिखत के निर्माण से संबंधित है, और कार्यवाही में पूरी तरह से तर्क दिया गया है और न्यायाधीश के निर्णय में पूरी तरह से विचार किया गया है।

कार्यवाही में, या

(ख) वह है जिसके संबंध में न्यायाधीश पूर्व में अपील न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय से बाध्य है।

कार्यवाही, और अपील न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में पूरी तरह से विचार किया गया था (मामले के रूप में)

हो सकता है) उन पिछली कार्यवाहियों में।

XXX XXX "

33. इसी तरह के प्रभाव के लिए न्यायाधिकरण, न्यायालय और सीमेंट अधिनियम, 2007 और रोजगार न्यायाधिकरण अधिनियम, 1996 की धाराएं हैं। यू. के. में इस तरह की अपीलों को "लीपफ्रॉग अपील" के रूप में संदर्भित किया जाता है [एस फ़्रांस [2019] 3 एस. सी. आर. देखें।

लिमिटेड वी. द कैवेंडिश होटल (लंदन) लिमिटेड, [2018] यूकेएससी 62 (पैराग्राफ 7 पर)]।

34. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यू. के. अधिनियमों में निहित कोई भी प्रावधान, हमारे संबंधित किसी भी अधिनियम में मौजूद नहीं है।

साथ ही, एन. जी. टी. को इस तरह की लीपफ्रॉग अपील अनिवार्य रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना होगी।

(II) आरईः जल अधिनियम की धारा 33 ए और वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत आदेश पारित किए गए

35. हमने टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा धारा 33 ए और 31 ए के तहत पारित दिनांकित 12.04.2018,23.05.2018 और 28.05.2018 का उल्लेख किया है।

क्रमशः जल अधिनियम और वायु अधिनियम। इस समय यह महत्वपूर्ण है

यह बताने के लिए कि जल अधिनियम की धारा 33 बी और वायु अधिनियम की धारा 31 बी दोनों को 18.10.2010 पर अधिनियमित किया गया था, जिस तारीख को एनजीटी अधिनियम लागू हुआ था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (सी) के साथ पठित जल अधिनियम की धारा 33 बी (सी) यह स्पष्ट करती है कि जल अधिनियम की धारा 33 ए के तहत जारी किए गए निर्देश एनजीटी को अपील करने योग्य हैं, वहीं वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत जारी किए गए निर्देश इतने अपील करने योग्य नहीं हैं। वास्तव में, वैधानिक योजना यह है कि वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत दिए गए निर्देश अपील योग्य नहीं हैं। इस मामले में, उपरोक्त सभी आदेश, जल अधिनियम और वायु अधिनियम दोनों के तहत जारी किए गए समग्र आदेश होने के नाते, उपरोक्त आदेशों को विभाजित करना संभव नहीं होगा और यह कहना संभव नहीं होगा कि जहां तक वे जल प्रदूषण को प्रभावित करते हैं, वे एनजीटी में अपील करने योग्य हैं, लेकिन जहां तक वे वायु प्रदूषण को प्रभावित करते हैं, ऐसे आदेशों के खिलाफ एक मुकदमा या रिट याचिका होगी। श्री सुंदरम का यह तर्क कि ये आदेश काफी हद तक जल अधिनियम से संबंधित हैं, इसलिए मान्य नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे आदेश जल अधिनियम और वायु अधिनियम दोनों के तहत दिए गए समग्र आदेश हैं। समान रूप से अविवेकी है

एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 का संदर्भ जो केवल एन. जी. टी. के मूल अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है न कि इसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र को। इसके अलावा, आम तौर पर यह कहना कि पर्यावरण का विषय एनजीटी के पास है, निराशा का तर्क है जिसे इस कारण से खारिज किया जाना चाहिए।

कि जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, एक अपील क़ानून का एक प्राणी होने के नाते, एक क़ानून या तो अपील का अधिकार प्रदान करता है या नहीं करता है। वर्तमान मामले में, हमने देखा है कि जहां तक वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत जारी निर्देशों का संबंध है, एनजीटी अधिनियम के साथ वायु अधिनियम द्वारा अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री द्वारा दिया गया सरल तर्क सुंदरम ने कहा कि, किसी भी मामले में, वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत एक "निर्देश" एक "आदेश" के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए, तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v के रूप में अपील योग्य होगा।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 16 (एफ) के साथ पठित वायु अधिनियम की धारा 31 बी के तहत एक कोच चलाया जाएगा-और-चार वैधानिक योजना के माध्यम से।

जिसे अभी-अभी विज्ञापित किया गया है। हमने देखा है कि कैसे एनजीटी की सभी अपीलीय कार्यवाही, चाहे वह वायु अधिनियम, जल अधिनियम या एनजीटी अधिनियम के तहत हो, उसी तारीख को लागू की गई है। जबकि जल अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा निर्देश देने की समान शक्ति एनजीटी के लिए अपील योग्य है, उसी शक्ति द्वारा निर्देश देने की शक्ति

वायु अधिनियम के तहत बोर्ड इतना अपील योग्य नहीं है। उपरोक्त वैधानिक योजना को देखते हुए वायु अधिनियम की धारा 31 बी में धारा 31 ए का कोई उल्लेख नहीं होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत जारी किए गए "निर्देश" उसी अधिनियम की धारा 31 में निर्दिष्ट "आदेशों" से अलग गुणवत्ता के होते हैं। शक्तियों के प्रयोग और निष्पादन में निर्देश जारी किए जाते हैं।

अधिनियम के तहत कार्यों की संख्या और प्रकृति में अर्ध-न्यायिक नहीं हैं, जबकि धारा 31 के तहत जिन आदेशों के खिलाफ अपील की जाती है, वे वायु अधिनियम की धारा 21 के तहत किए गए अर्ध-न्यायिक आदेश हैं। एहि कारणसँ सेहो हम श्री सुन्दरमक उपरोक्त तर्ककेँ स्वीकार नहि कऽ सकैत छी। हालांकि, श्री सुंदरम ने वायु अधिनियम की धारा 31 ए के स्पष्टीकरण के विशेष संदर्भ में तर्क दिया कि जब किसी विशेष उद्योग को बंद किया जाता है या किसी एक उद्योग को बिजली की आपूर्ति बंद की जाती है तो "निर्देश" "आदेशों" की प्रकृति का हिस्सा होते हैं, और इसलिए,

निर्देश वायु अधिनियम की धारा 31 के तहत आदेश के रूप में अपील योग्य हैं। इस तर्क का भी कोई लाभ नहीं है क्योंकि जल अधिनियम की धारा 33 ए में एक

वायु अधिनियम की धारा 31 ए में निहित स्पष्टीकरण के समान। इसके बावजूद, विधायी योजना, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह है कि जहां तक जल अधिनियम के तहत निर्देशों का संबंध है, वे अपील योग्य हैं, लेकिन जहां तक वायु अधिनियम के तहत निर्देशों का संबंध है, वे नहीं हैं

अपील योग्य। इसलिए, पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन और ब्लैक लॉ डिक्शनरी का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि निश्चित रूप से

परिस्थितियां, आदेश भी निर्देश हैं और इसके विपरीत, स्पष्ट वैधानिक योजना को देखते हुए, वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। इस संबंध में,

श्री सुंदरम ने कन्हैया लाल उमर बनाम का हवाला दिया। आर. के. त्रिवेदी (1985) 4

एस. सी. सी. 678, और अनुच्छेद 17 पर भरोसा किया, जहाँ इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि एक "निर्देश" को एक विशिष्ट या सामान्य आदेश के बराबर माना जा सकता है। अनुच्छेद 324 का संदर्भ पूरी तरह से अलग होने के कारण, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में वैधानिक योजना को देखते हुए इस प्राधिकरण का भी कोई अनुप्रयोग नहीं है।

36. श्री सुंदरम ने तब महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम का हवाला दिया।

भुपेशकुमार सेठ, (1984) 4 एस. सी. सी. 27. इस फैसले में, उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड विनियम, 1977 के विनियम 104 को रद्द कर दिया था, जिसके द्वारा परीक्षा में दी गई उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि उत्तर पत्रों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है, इसमें कई हजार श्रम-घंटे लगेंगे, और यह पूरी प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, यह जनहित में है कि सार्वजनिक परीक्षाओं के परिणाम, जब प्रकाशित होते हैं, तो उनसे कुछ अंतिमता जुड़ी होनी चाहिए [पैराग्राफ 27 देखें]। इस संदर्भ में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 29. ..... यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायालय को, जहां तक संभव हो, किसी वैधानिक प्रावधान, नियम या उप-कानून के किसी भी निर्णय या व्याख्या से बचना चाहिए जो प्रणाली को व्यवहार में अव्यवहारिक बनाने का परिणाम लाए। .....

उपरोक्त वाक्य को शारीरिक रूप से उठाना और इसे यहाँ की तथ्य स्थिति पर लागू करना एक बड़ी छलांग होगी जिसे हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा,

उपरोक्त वैधानिक योजना को देखते हुए, हमारे लिए एक अपील प्रदान करना संभव नहीं है जहां एक अपीलीय प्रणाली को व्यवहार में व्यवहार्य बनाने की आड़ में कोई नहीं है।

37. श्री सुंदरम ने तब गलाडा पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। संयुक्त भारत

बीमा कंपनी लिमिटेड, (2016) 14 एस. सी. सी. 161 और अल्लोकम पेद्दब्बय्या बनाम। इलाहाबाद बैंक, (2017) 8 एस. सी. सी. 272 इस प्रस्ताव के लिए कि अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, और अन्य सभी वैधानिक अधिकारों की तरह, इसे तब तक माफ किया जा सकता है, जब तक कि इसकी छूट सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक न हो। इन अपीलों में सवाल यह नहीं है कि क्या कोई अपीलार्थी अपील के वैधानिक अधिकार को माफ कर सकता है। सवाल यह है कि क्या एनजीटी, जो केवल एक अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से अपील पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र के साथ निवेशित है, अधिकार क्षेत्र में सीधे मूल प्राधिकरण से अपील पर विचार करने में सक्षम है। यह स्पष्ट है, जैसा कि हमारे द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, कि एनजीटी के पास ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

38. एक और तर्क दिया गया कि ये मामले केवल प्रक्रियात्मक हैं, और इसलिए, काफी हद तक, एनजीटी को एक अपील बनाए रखने योग्य होगी। यह अच्छी तरह से तय है कि अपील करने का अधिकार प्रक्रियात्मक नहीं है। बात लेकिन एक मूल। गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी, 1957 एससीआर 488, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" ऊपर बताए गए निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्पष्ट होते हैं - उभरते हैंः

((i) कि किसी उपचार, वाद, अपील की कानूनी खोज और दूसरा

अपील वास्तव में कार्यवाही की एक श्रृंखला में कदम हैं

एक आंतरिक एकता से जुड़ा हुआ है और एक के रूप में माना जाना है

कानूनी कार्यवाही।

((ii) अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि यह है -

एक मूल अधिकार।

((iii) मुकदमे की संस्था अपने साथ निहितार्थ रखती है।

((iv) अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और ऐसा अधिकार है - उच्च न्यायालय में प्रवेश करना वादी को उपार्जित होता है और इस पर मौजूद होता है

वास्तव में प्रयोग किया जाता है जब प्रतिकूल निर्णय सुनाया जाता है ऐसा अधिकार उस तारीख को प्रचलित कानून द्वारा शासित होना है

वाद या कार्यवाही की स्थापना और कानून द्वारा नहीं कि

अपने निर्णय की तारीख या दाखिल करने की तारीख पर लागू होता है

अपील की।

(v) अपील के इस निहित अधिकार को केवल एक द्वारा छीन लिया जा सकता है बाद का अधिनियम, यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या द्वारा प्रदान करता है

आवश्यक इरादा और अन्यथा नहीं। "

(पी

पी में। 514-515)

इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए। (III) आरईः जल अधिनियम की धारा 18 के तहत आदेश पारित

39. जहाँ तक 28.05.2018 दिनांकित आदेश का संबंध है, यह आदेश

स्पष्ट रूप से जल अधिनियम की धारा 18 के तहत बनाया गया है। वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह का आदेश जल अधिनियम या एनजीटी अधिनियम के तहत एनजीटी को अपील करने योग्य नहीं है। हालाँकि, श्री सुंदरम ने तर्क दिया है कि धारा 18 आम तौर पर किए गए

आदेशों के लिए संदर्भित है, और जल अधिनियम के अध्याय IV के तहत आती है, जो बोर्डों की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, जो निम्नलिखित धाराओं के विपरीत है।

अध्याय 5 में, जो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है, जो व्यक्तियों और व्यक्तिगत उद्योगों के खिलाफ आदेश दिए जाते हैं। इस धारणा पर कि श्री सुंदरम इस तर्क में सही हैं, यह स्पष्ट है [2019] 3 एस. सी. आर.

कि इस तरह के आदेश को केवल दीवानी न्यायालय द्वारा या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा एक मुकदमे में दरकिनार किया जा सकता है। श्री सुंदरम के इस तर्क से सहमत होना संभव नहीं है कि इस तरह के आदेशों को नजरअंदाज किया जा सकता है। यह तय किया जाता है कि एक प्रशासनिक आदेश, जब बनाया जाता है, तो उसके माथे पर अयोग्यता का निशान नहीं होता है, जैसा कि स्मिथ बनाम में माना गया है। ईस्ट एलो रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, [1956] 1 ऑल ई. आर. 855 (पृष्ठ 871 पर), जिसके बाद इस न्यायालय ने राज्य में पंजाब बनाम. गुरदेव सिंह, (1991) 4 एस. सी. सी. 1 (पृष्ठ 6 पर); तैयबभाई एम. बागसरवाला बनाम। हिंद रबर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (1997) 3 एस. सी. सी.

443 (पृष्ठ 455 पर); पुणे नगर निगम। वी. महाराष्ट्र राज्य, (2007) 5 एस. सी. सी. 211 (पृष्ठ 225 पर); कृष्णादेवी मालचंद कामठिया बनाम। बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप, (2011) 3 एस. सी. सी. 363 (पृष्ठ 369 पर); और कांडला पोर्ट बनाम। हरगोविंद जसराज, (2013) 3 एस. सी. सी. 182 (पृष्ठ 193 पर)। इसलिए, इस आदेश को या तो किसी मुकदमे में या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में ही दरकिनार किया जा सकता है। इसका सामना करते हुए, श्री सुंदरम ने तब तर्क दिया कि हालांकि उक्त आदेश में कहा गया है कि इसका पता जल अधिनियम की धारा 18 से लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में, इसका पता उसी अधिनियम की धारा 29 से लगाया जा सकता है। धारा 29 पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित है, जिसमें राज्य सरकार को राज्य बोर्ड और प्रभावित व्यक्ति दोनों को सुनने के बाद एक अर्ध-न्यायिक आदेश पारित करना है। स्पष्ट रूप से, यह आदेश एक अर्ध-न्यायिक आदेश नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने राज्य बोर्ड या इस तरह के आदेश से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को सुनना आवश्यक नहीं पाया है। इसके अलावा, ऐसा आदेश एक ऐसा आदेश नहीं है जो जल अधिनियम की धारा 25,26 या 27 के तहत किए गए किसी भी आदेश की पुष्टि करता है या उसे दरकिनार करता है। इसलिए, निराशा के इस तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए।

40. श्री सुंदरम ने तब तर्क दिया कि एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, वे आम तौर पर

न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, सिवाय उस विधान के अधिकारों को चुनौती देने के जिसके तहत ऐसे न्यायाधिकरण स्वयं निर्धारित किए गए हैं। ऊपर। इसके लिए, उन्होंने एल. चंद्र कुमार (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 90 और 93 पर दृढ़ता से भरोसा किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) एक न्यायाधिकरण से संबंधित थे जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 323 ए (2) (डी) के तहत, इस प्रकार स्थापित प्रशासनिक न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम होगा। इसका मतलब यह होगा कि इस प्रकार स्थापित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 ए में निर्दिष्ट मामलों पर सभी उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

यह एक MIL NADU प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रशासनिक अधिनियम की धारा 14 और धारा 28 का अध्ययन

नाल अधिनियम, 1985, जो निम्नानुसार हैः

" 14. केंद्र का अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और अधिकार

प्रशासनिक न्यायाधिकरण। - (1) अन्यथा स्पष्ट रूप से सहेजें इस अधिनियम में उपबंधित, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

नियत दिन से तुरंत पहले सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करना।

(सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) के संबंध में

(क) किसी भी अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के तहत किसी सिविल पद या रक्षा या रक्षा सेवाओं से जुड़े पद पर भर्ती, और भर्ती से संबंधित मामले, दोनों ही मामलों में, किसी भी पद द्वारा भरा गया पद है।

नागरिक; (ख) संबंधित सभी सेवा मामले

((i) किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य; या
((ii) कोई व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं है या खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो किसी सिविल सेवा में नियुक्त किया गया है।

संघ का या संघ के अधीन कोई सिविल पद; या

((ग) एक नागरिक जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं है या खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो किसी रक्षा सेवा या रक्षा से जुड़े पद पर नियुक्त किया गया है,

और संघ या किसी राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के मामलों के संबंध में ऐसे सदस्य, व्यक्ति या नागरिक की सेवा से संबंधित या

भारत सरकार या किसी के नियंत्रण में सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निगम या सोसायटी;

(ग) संघ के मामलों के संबंध में सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले जो किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति से संबंधित हैं।

खंड (ख) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट सेवा या पद, वह व्यक्ति है जिसकी सेवाएँ किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या किसी निगम या सोसायटी या अन्य निकाय द्वारा दी गई हैं।

ऐसी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार।

स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है

कि इस उप-धारा में "संघ" के संदर्भों का अर्थ लगाया जाएगा

जिसमें किसी केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ भी शामिल हैं।

(2) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि से प्रभावी हो सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, उप-धारा (3) के प्रावधानों को भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों और सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों या समितियों के लिए लागू कर सकती है, जो स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम या समाज नहीं हैं जो किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व में हैं:

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार योजना में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन समझती है इस अधिनियम द्वारा परिकल्पित, स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों या निगमों या समितियों के किसी भी वर्ग के तहत विभिन्न वर्गों या विभिन्न श्रेणियों के संबंध में इस उप-धारा के तहत अलग-अलग तिथियां निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण उस तारीख को और उससे प्रभावी होगा जब से इस उप-धारा के प्रावधान किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम या सोसायटी पर लागू होते हैं, सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग तुरंत पहले किया जा सकता है।

(उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) सभी न्यायालयों द्वारा उस तारीख के संबंध में

(ख) उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित सभी सेवा मामले, जो मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर नियुक्त किए गए हैं। ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम या समाज और ऐसे मामलों के संबंध में ऐसे व्यक्ति की सेवा से संबंधित।

XXX XXX XXX

" 28. उच्चतम न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों की अधिकारिता का बहिष्करण

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत न्यायालय। चालू और से जिस तारीख से किसी न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी सेवा या पद या सेवा मामलों में भर्ती से संबंधित मामलों के संबंध में इस अधिनियम के तहत कोई अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्राधिकरण प्रयोग करने योग्य हो जाता है, किसी भी सेवा या पद के सदस्यों या किसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v के अलावा कोई अदालत नहीं।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

((क) उच्चतम न्यायालय; या

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या किसी अन्य के तहत कोई औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रम न्यायालय या अन्य प्राधिकरण।

उस समय लागू संबंधित कानून,

किसी भी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा या होगा ऐसी भर्ती या ऐसी भर्ती से संबंधित मामलों या ऐसी भर्ती या ऐसे सेवा मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में प्राधिकरण।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 बी में कुछ अन्य मामलों के लिए भी न्यायाधिकरणों का प्रावधान है जो इसके उपखंड (2) द्वारा निर्दिष्ट हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एनजीटी संविधान के अनुच्छेद 323 ए या अनुच्छेद 323 बी के तहत स्थापित न्यायाधिकरण नहीं है, बल्कि एनजीटी अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक न्यायाधिकरण है। एन. जी. टी. अधिनियम (उपर्युक्त) की धारा 29 को पढ़ने से स्पष्ट है कि ऐसा न्यायाधिकरण उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है। इस प्रकार, एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 और धारा 29 के संयुक्त पठन की तुलना एक संयुक्त के साथ की जानी चाहिए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 और धारा 28 को पढ़ना।

41. यह अनुच्छेद 323 ए और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने एल. चंद्र कुमार (ऊपर) में पैराग्राफ 93 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" 93. अन्य पहलुओं पर आगे बढ़ने से पहले, हम इन न्यायाधिकरणों की अधिकारिता शक्तियों पर अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायाधिकरण उन मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम हैं जहां वैधानिक प्रावधानों की शक्तियों पर सवाल उठाए जाते हैं। हालाँकि, इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के विकल्प के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

जिन न्यायालयों को, हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत, विशेष रूप से ऐसा दायित्व सौंपा गया है। इस संबंध में उनका कार्य केवल पूरक है और न्यायाधिकरणों के ऐसे सभी निर्णय होंगे -

संबंधित उच्च न्यायालयों की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन। परिणामस्वरूप न्यायाधिकरणों के पास भी शक्ति होगी -

अधीनस्थ विधानों और नियमों की शक्तियों का परीक्षण करना। हालाँकि, न्यायाधिकरणों की यह शक्ति एक महत्वपूर्ण अपवाद के अधीन होगी। न्यायाधिकरण इस तय किए गए सिद्धांत का पालन करते हुए अपने मूल कानूनों के अधिकारों के बारे में किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे कि एक न्यायाधिकरण जो एक अधिनियम का एक हिस्सा है, उसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। अकेले ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय संबंधित [2019] 3 एस. सी. आर.

सीधे संपर्क किया जा सकता है। इन न्यायाधिकरणों के अन्य सभी निर्णय, उन मामलों में दिए जाते हैं जिनके लिए वे विशेष रूप से सशक्त हैं

अपने मूल कानूनों के आधार पर निर्णय लेने वाले अपने संबंधित उच्च न्यायालयों की एक खंड पीठ के समक्ष भी जांच के अधीन होंगे। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि न्यायाधिकरण, हालांकि, कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में एकमात्र अदालतों के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि वादियों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे सीधे उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकें, उन मामलों में भी जहां वे वैधानिक विधानों की शक्तियों पर सवाल उठाते हैं (सिवाय, जैसा कि उल्लेख किया गया है, जहां विशेष न्यायाधिकरण बनाने वाले विधान को चुनौती दी गई है)। संबंधित न्यायाधिकरण का "।

42. भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम। दूरसंचार नियामक

ओ. आर. आई. टी. ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. , (2014) 3 एस. सी. सी. 222 ["बी. एस. एन. एल".], इस न्यायालय ने भारतीय नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 में निहित अपीलीय शक्ति का अर्थ लगाया है, जिसके द्वारा टी. डी. एस. ए. टी.

ट्राई के निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनने और निपटाने की शक्ति प्रदान की गई। इस संदर्भ में, एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) में निर्णय देने के बाद, यह न्यायालय

" 108. 2000 के संशोधन से पहले, धारा 15 के तहत आवेदन दायर करने की आवश्यकता थी जिसमें इसे तय करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी शामिल थी। जहां धारा 15 की उप-धारा (2) में "आदेश" शब्द का उपयोग किया गया है, वहीं इसकी उप-धारा (3) और (4) में "निर्णय" शब्द का उपयोग किया गया है। उप-धारा (5) के संदर्भ में, ट्राई के आदेशों और निर्देशों को सेवा प्रदाताओं के लिए बाध्यकारी माना गया था।

सरकार और अन्य सभी संबंधित व्यक्ति। धारा 18 में ट्राई के किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान है। इस तरह की उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। 2000 में किए गए संशोधन का उद्देश्य ट्राई के मूल अधिकार क्षेत्र को निहित करना है

टी. डी. एस. ए. टी. में और वही धारा 14 (ए) द्वारा प्राप्त किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अपीलीय अधिकारिता भी निहित है।

टी. डी. एस. ए. टी. में धारा 14 (बी) के आधार पर लेकिन इसमें टी. आर. ए. आई. द्वारा लिया गया निर्णय शामिल नहीं है। धारा 14-एन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी अपीलों को टी. डी. एस. ए. टी. को हस्तांतरित करने का प्रावधान करती है और उप-धारा (2) के खंड (बी) के संदर्भ में, टी. डी. एस. ए. टी. को उस चरण से अपील से निपटने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता थी जो इस तरह के हस्तांतरण से पहले पहुंचा गया था।

या किसी प्रारंभिक चरण से या उसके द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले नए चरण से। चूँकि उच्च न्यायालय के पास अपील की सुनवाई करते समय एम. आई. एल. नाडू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v नहीं था।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधीनस्थ विधान की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अंतरिती

न्यायनिर्णायक मंच अर्थात टी. डी. एस. ए. टी. इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

धारा 14 (बी) "।

XXX XXX XXX " 114. ... . आदेश के उपरोक्त निकाले गए हिस्से से यह स्पष्ट है कि मामले का फैसला करने वाली पीठ ने महसूस किया कि टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण आदेश के व्यापक उल्लंघन को प्रोत्साहित करेगा।

बिना किसी दंडात्मक परिणाम के आदेश और पूरी योजना

टी. आर. ए. आई. अधिनियम अव्यवहारिक हो जाएगा। शब्द "दिशाएँ"

ट्राई अधिनियम की धारा 29 में उपयोग की गई व्याख्या को शामिल करने के लिए किया गया था

उस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के संदर्भ में आदेश और विनियम और न्यायालय की आशंका कि धारा 29 अन्यथा अव्यवहारिक हो जाता है, लेकिन इसे इस रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है

कानून के एक प्रस्ताव को निर्धारित करते हुए कि शब्द "दिशा", " धारा 14 (बी) में उपयोग किए गए निर्णय या आदेश में धारा 36 के तहत बनाए गए नियम शामिल होंगे, जो अधीनस्थ विधान की प्रकृति के हैं।

XXX XXX XXX

" 123. भारत संघ में v. मद्रास बार एसोसिएशन। [(2010) 11 एस. सी. सी. 1] और गुजरात राज्य बनाम। गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन। [(2012) 10 एससीसी 353: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 1229: (2013) 1 एससीसी (सीआरआई) 35: (2013) 1 एससीसी (एल एंड एस) 56: (2012) 10 स्केल 285], यह

न्यायालय ने एल. चंद्र कुमार में निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया।

मामला [एल. चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ, (1997) 3 एस. सी. सी. 261: 1997 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 577] और विवादों के समाधान के लिए बनाए गए न्यायाधिकरणों के महत्व को दोहराया लेकिन इन निर्णयों का भी हमारे सामने तैयार किए गए प्रश्न के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 124. परिणामस्वरूप, न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया जाता हैः टीआरएआईएक्ट की धारा 14 (बी) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, टीडीएसएटी के पास ट्राई द्वारा बनाए गए नियमों को चुनौती देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

ट्राई अधिनियम की धारा 36 "।

वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि एनजीटी अधिनियम की धारा 16 है

एन शब्द जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 (बी) के समान हैं, जिसमें अपील विभिन्न अधिनियमों के तहत किए गए आदेशों, आयनों, निर्देशों या निर्धारणों के खिलाफ हैं। धारा 16 में उल्लिखित। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एनजीटी अधिनियम, [2019] 3 एस. सी. आर. के तहत।

अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायाधिकरण इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों को निरस्त नहीं कर सकता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि न्यायाधिकरण के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के समान न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं। हमें अभिलेख की एक उच्चतर अदालत और सीमित अधिकार क्षेत्र की अदालतों के बीच के अंतर को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो गजेंद्रगढ़कर, सी. जे. की सम्मानित भाषा में, रीः विशेष संदर्भ, (1965) 1 एस. सी. आर. 413, निम्नलिखित शब्दों में बनाया गया हैः

" हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम इस प्रश्न से निपट रहे हैं। अधिकारिता के हैं और औचित्य से संबंधित नहीं हैं या

ऐसी अधिकारिता के प्रयोग की तर्कसंगतता। इसके अलावा, अभिलेख के उच्चतर न्यायालय का मामला, यह न्यायालय पर विचार करने के लिए है

सीमित अधिकारिता वाला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का हकदार है अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में अपने लिए प्रश्नों का निर्धारण करें। " प्राइमा

हैल्सबरी का कहना है, "ऐसा कोई भी मामला नहीं माना जाता है जो इससे परे हो।"

किसी उच्चतर न्यायालय की अधिकारिता जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है

इसलिए, जबकि कुछ भी निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जब तक कि

कार्यवाही के सामने यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि विशेष मामला विशेष न्यायालय के संज्ञान में है।

[हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम। 9 , पी। 349] " .

(

पृष्ठ 499 पर)

इसी कारण से भी हमारा विचार है कि राज्य सरकार

जल अधिनियम की धारा 18 के तहत दिए गए आदेश, जो एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी भी अपील का विषय नहीं है, की एनजीटी द्वारा "न्यायिक समीक्षा" नहीं की जा सकती है। बी. एस. एन. एल. (ऊपर) के फैसले के बाद, हमारा विचार है कि एन. जी. टी. के पास न्यायिक समीक्षा की कोई सामान्य शक्ति नहीं है जो इस देश के उच्च न्यायालयों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित है। विल्फ्रेड बनाम में एन. जी. टी. के दिनांकित 17.07.2014 निर्णय पर श्री सुंदरम की दृढ़ निर्भरता।

पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि एनजीटी के इस फैसले में इस पहलू पर कानून को सही ढंग से नहीं कहा गया है। यह तर्क भी आधारहीन है और इसलिए खारिज कर दिया गया है।

43. श्री सुंदरम ने तब तर्क दिया कि, किसी भी मामले में, यह आदेश एक

टी. एन. पी. सी. बी. के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दिया गया आदेश, और इसलिए, टी. एन. पी. सी. बी. के लिए एक निर्देश है न कि उनके मुवक्किल के लिए एक निर्देश। यदि ऐसा होता और आदेश का उनके मुवक्किल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे आदेश के खिलाफ एनजीटी के समक्ष अपील दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

हालाँकि, हमने देखा है कि इस आदेश को प्रतिवादी द्वारा एनजीटी के समक्ष गुण-दोष के आधार पर चुनौती दी गई है। तब यह कहने के लिए कि यह आदेश जो है चुनौती दिए गए व्यक्ति का कुछ आधारों पर बचाव किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप, एनजीटी को फिर से घोड़े के सामने गाड़ी रखने का अधिकार क्षेत्र मिल जाता है। यह स्पष्ट है कि जल अधिनियम की धारा 18 के तहत दिए गए आदेशों के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की गई है, और पिछले दरवाजे से एनजीटी को लाने के प्रयास को, जैसा कि था, इसलिए खारिज करना होगा। इसके अलावा, यह तर्क देने के लिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करने वाली एक रिट अदालत के खिलाफ, एनजीटी एक विशेषज्ञ निकाय है

केवल पर्यावरणीय मामलों से निपटने के लिए, फिर से इस न्यायालय के समक्ष विशिष्ट मुद्दे का जवाब नहीं देता है। जैसा कि हम पहले मान चुके हैं कि एक अपील क़ानून का एक हिस्सा है, जो जल अधिनियम की धारा 18 के तहत पारित एक आदेश है

या तो अपील योग्य है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है, तो एन. जी. टी. के पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित एक विशेषज्ञ निकाय होने के बारे में कोई सामान्य तर्क नहीं हो सकता है।

किसी भी सहायता के लिए। 44. समान रूप से, जहां तक दिनांकित 08.08.2013 के आदेश का संबंध है, हमने देखा है कि एनजीटी ने कैसे कहा कि आवश्यकता का सिद्धांत होगा

यदि अधिनियम के तहत एक अपीलीय प्राधिकरण का उचित रूप से गठन नहीं किया गया है तो उसे संभालना ताकि तब किसी भी अपील को प्रभावी रूप से प्राथमिकता नहीं दी जा सके। यह, फिर से, एक तर्क है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि एक अपीलीय प्राधिकरण या तो अभी तक गठित नहीं किया गया है, या ठीक से गठित नहीं किया गया है, तो एनजीटी को एक छलांग अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है। जैसा कि हम ऊपर अभिनिर्धारित कर चुके हैं, एनजीटी को केवल अभ्यास में पारित आदेश से अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है

पहली अपील। जहाँ ऐसा कोई आदेश नहीं है, वहाँ एनजीटी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

45. अंत में, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रतिवादी का संयंत्र 09.04.2018 के बाद से बंद कर दिया गया है। जब से हमने अलग रखा है

रखरखाव के आधार पर एन. जी. टी. के विवादित निर्णय, टी. एन. पी. सी. बी. द्वारा पारित 22.01.2019 दिनांकित आदेश, एक परिणामी है।

आदेश भी अलग रखा जाता है। प्रत्यर्थियों को इस स्थिति में भेज दिया जाता है कि एन. जी. टी. के समक्ष विवादित छह आदेश, दिनांक 15.12.2018 के विवादित फैसले द्वारा निपटाए गए, और दिनांक 08.08.2013 के अंतिम फैसले द्वारा निपटाए गए 29.03.2013 का आदेश, जीवित और प्रभावी हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि हम इन अपीलों में शामिल एनजीटी के फैसलों को रखरखाव के आधार पर दरकिनार कर रहे हैं, हम कहते हैं कि उत्तरदाताओं के लिए उपरोक्त सभी आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा। यदि ऐसी रिट याचिका दायर की जाती है, तो प्रतिवादी के लिए यह मानते हुए अंतरिम राहत के लिए आवेदन करने के लिए खुला होगा कि उनका संयंत्र 09.04.2018 के बाद से बंद है। इसके अलावा, जब से उनका संयंत्र 834 है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक लंबी अवधि के लिए बंद, और वे एक उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं जो एक महत्वपूर्ण आयात विकल्प है, प्रतिवादी रिट याचिका की त्वरित सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आवेदन कर सकता है, जिसे टी. एन. पी. सी. बी. के 09.04.2018 आदेश को चुनौती देने के मामले में एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद गुण-दोष पर निपटाया जाएगा। अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।

बी.

अंकित ज्ञान